जय जवान।। जय किसान।। जय विज्ञान।।

रजि. नं. : COOP/2019/JALORE/101089

दिनांक : 10-06-2019

राजस्थान किसान संघर्ष समिति

जालोर-बाड़मेर-सिरोही

क्षैत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही जल उपलब्ध करवाने को लेकर संघर्षरत

गैर राजनीतिक संगठन

पंजीकृत कार्यालय : श्री करणी धाम पंचदेवल, नरपुरा, पोस्ट - सरत, जिला - जालोर (राज.)

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर जनहित याचिका संख्या 3637/2021 में जारी निर्देश दिनांक 18.11.2022 एवं मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिंदु संख्या 173 (X) के संबंध में हुई कार्यवाही बाबत् पुस्तिका

पुस्तिका भाग - B

1. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में माही जल उपलब्ध करवाने हेतु दायर जनहित याचिका (रिट) संख्या 3637/2021 में जारी निर्देश दिनांक 18.11.2022 एवं पालना में राजस्थान सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी।
2. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा किसानों की मांग पर किसानों के हित में बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में जालोर- बाड़मेर-सिरोही (पश्चिमी राजस्थान) को पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने के लिए सर्वे एवं डी.पी.आर. घोषणा एवं इस हेतु राज्य सरकार स्तर पर गठित संयुक्त समिति द्वारा की गई कार्यवाही संबंधित विवरण।
3. माही नदी के त्रिवेणी संगम (माही-सोम-जाखम नदी) बेणेश्वर धाम से मानसून में औसत एकवर्ष में लगभग 125 टीएमसी अर्थात् 17 जवाई बांध के बराबर व्यर्थ बहकर समुद्र में जाने वाले पानी को बेणेश्वर से कडाणा के मध्य राजस्थान की सीमा में उचित स्थान पर पानी का संग्रहण कर जालोर-बाड़मेर-सिरोही में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ठोस सबूतों के साथ ज्ञापन।

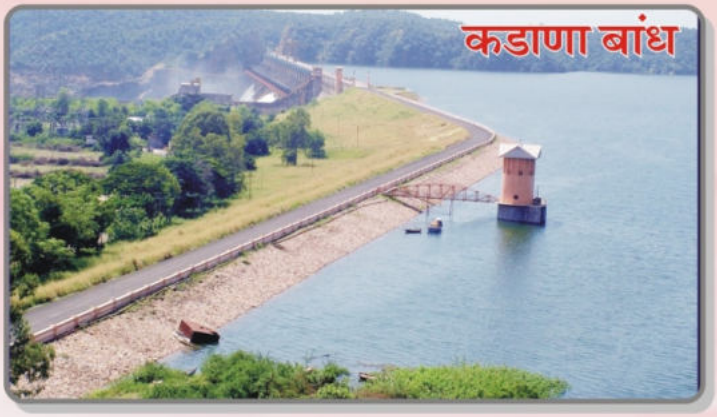

श्री श्री 1008 पीर श्री गंगानाथजी महाराज
सिरे मंदिर, जालोर

शुभकामना-संदेश

पश्चिमी राजस्थान के हमारे इस सूखे क्षेत्र में कृषि सिर्फ बारिश पर आधारित है और वो भी इन्द्रदेव के रूठ कर गुजरने के कारण किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार पैदावार व आमदनी नहीं दे पाती। परिणाम यह है कि पानी की कमी के कारण किसान व आमजन की हालत दयनीय है।

मेरे ज्ञान में आया है कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति हमारे इसी जालोर-बाड़मेर-सिरोही क्षेत्र के लिये माही बेसिन का पानी पेय व सिंचाई हेतु लाने का प्रयास कर रही है। जिससे यह सूखा क्षेत्र हरा-भरा तो होगा ही साथ ही आमजन का वर्तमान व भविष्य समृद्ध व खुशहाल होगा। संघर्ष समिति का यह एक क्रांतिकारी व परोपकारी कदम है।

साथ ही मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जालोर-बाड़मेर-सिरोही को पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने को लेकर आदेश जारी हुए हैं तथा सर्वे एवं डी.पी.आर. हेतु कार्यवाही जारी है जो इस कार्य की सिद्धि के लिए शुभ संकेत हैं।

मेरा आशीर्वाद व आमजन की सद्भावनाएं संघर्ष समिति के साथ हैं।

गंगानाथ

(गंगानाथ महाराज)

श्री श्री 1008 महंत श्री रणछोड़भारतीजी महाराज
पिपलेश्वर मठ, जालोर

शुभकामना-संदेश

जालोर व बाड़मेर सूखे क्षैत्र हैं। जालोर जिले की मुख्य नदी जवाई नदी है जो जवाई बांध के निर्माण के बाद अब धीरे-धीरे बिल्कुल सूख गई है। कुँओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है ऐसे समय में राजस्थान किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, केशरसिंह सिवाणा, सुरेश व्यास, गिमरसिंह सूर्यवंशी एवं पूरी टीम माही नदी के ओवरफ्लो जल को जालोर-बाड़मेर में उपलब्ध करवाने हेतु लम्बे समय से प्रयासरत है एवं विधिवत कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में न्यायालय ने भी किसानों के हक में पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही जल उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023 में माही बेसिन जल को उपलब्ध करवाने को लेकर सर्वे एवं डी.पी.आर. के आदेश हुए है एवं कार्य प्रगति पर है।

मैं पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि यह कार्य जल्द ही सफल हो।

मेरी शुभकामनाएँ राजस्थान किसान संघर्ष समिति के साथ हैं।

(रणछोड़ भारती महाराज)

ब्रह्मर्षि ब्रह्माचार्य ब्रह्मा सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर
श्री श्री तुलछारामजी महाराज
श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ, आसोतरा

शुभकामना-संदेश

जालोर-बाड़मेर क्षेत्र में मानसून के दौरान औसत से भी कम वर्षा होती है जिस कारण सारी नदियाँ सूख गई हैं। भू-जल स्तर बहुत नीचे चला गया है।

माही नदी जल पर अपने हक को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति की टीम प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर विधिवत लड़ाई लड़ रही है।

आशा है राजस्थान किसान संघर्ष समिति का सपना साकार होगा और अपने सूखे क्षेत्र में माही जल उपलब्ध होगा। मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं।

(तुलछाराम महाराज)

श्री श्री 1008 श्री शंकरस्वरुपजी ब्रह्मचारीजी महाराज
सारणेश्वर धाम, सरत

शुभकामना-संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति द्वारा जालोर-बाड़मेर-सिरोही में पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने हेत अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इस पुनीत कार्य की सफलता पर आमजन, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे लाभान्वित होंगे।

मुझे ज्ञात हुआ है कि हाल ही में इस मुद्दे को मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023 में शामिल किया है जो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी बात है।

मुझे आशा है कि इस पुनीत कार्य में राजस्थान किसान संघर्ष समिति को सफलता मिलेगी तथा मेरी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं।

(शंकरस्वरुप ब्रह्मचारी महाराज)

श्रीमद् विजय जयन्तसेन सूरीश्वरजी म. सा.
भाण्डवपुर तीर्थ

|| णमो गोयमस्स || || णमो वद्धमाणस्स || || णमो राईदसूरिस्स ||

गच्छाधिपति शासनप्रभावक श्रीमद् विजय जयन्तसेन सूरीश्वरजी म.सा. के पट्टधर

विजय जयरत्न सूरि

पुण्य सम्राट — पट्टधर

तप सम्राट — शिष्यरत्न

आशीर्वाद

क्रमांक

दिनांक 1-4-2023

श्री राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर,
बाडमेर सिरोही के संयोजक श्री विक्रमसिंहजी
पुनासा, प्रदेश अध्यक्ष श्री बद्रीदानजी नरपुरा।

शुभाशीष सह धर्मलाभ।

मुझे जानकर परम प्रसन्नता हुई की इस सूखे प्रदेश को पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति करवाने हेतु आप संघर्षरत हैं।

जन कल्याणकारी एवं परोपकार हेतु तथा पर्यावरण संरक्षण में भी आप का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

मेरा शुभाशीर्वाद है कि इस पारमार्थिक जन कल्याणकारी कार्य में आप सफलता प्राप्त कर क्षेत्र में पेय जल एवं सिंचाई हेतु माहीजल उपलब्ध करवा कर सभी प्राणि मात्र का आशीर्वाद प्राप्त करें।

भाण्डवपुरतीर्थ विजय जयरत्नसूरि
1-4-2023

सम्पर्क सूत्र : श्री महावीर 52 जिनालय, श्री वर्धमान राजेन्द्र जैनागम मंदिर ❋ संचालक - श्री महावीर जैन श्वेताम्बर पेढी (ट्रस्ट)
भाण्डवपुर तीर्थ, वाया सायला : जिला-जालोर (राज.) 343022, दूरभाष : (02977) 270033, 270671 मो. 7340019703/4/5

श्री श्री 1008 महंत श्री देवगरजी महाराज
भालनी मठ

शुभकामना-संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति द्वारा जालोर-बाड़मेर-सिरोही में पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने हेतु अथक प्रयास किए जा रहे है। जिसमें सफलता मिलने पर हमारे सूखे क्षैत्र में हरियाली होगी एवं आमजन लाभान्वित होगा।

मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि हाल ही में इस मुद्दे को मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023 में शामिल किया है यह हमारे क्षेत्र के सौभाग्य की बात है।

मुझे आशा है कि इस पुनीत कार्य में सफलता मिलेगी तथा मेरी शुभकामनाएँ समिति के साथ है।

(देवगर महाराज)

श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मचारीजी भोमारामजी महाराज

शुभकामना-संदेश

मेरे दक्षिण प्रवास के दौरान मुझे यह ज्ञात हुआ कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, शिवनाथसिंह राजपुरोहित बासड़ाधनजी एवं पूरी टीम हमारे जालोर-बाड़मेर-सिरोही की सूखी धरती की प्यास बुझाने हेतु माही नदी के बेसिन जल को लाने हेतु लम्बे समय से संघर्षरत है।

मेरे ध्यान में लाया है कि हाल ही मुख्यमंत्री बजट घोषणा में भी माही बेसिन जल को हमारी धरा पर लाने हेतु सर्वे एवं डी.पी.आर. हेतु घोषणा की गई है तथा यह कार्य प्रगति पर है। कार्य की सफलता पर सूखी धरा तो तृप्त होगी ही इसके साथ-साथ जनजीवन पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्यावरण सभी लाभान्वित होंगे।

इस पवित्र कार्य हेतु मेरी शुभकामनाएं राजस्थान किसान संघर्ष समिति के साथ है।

ब्रह्मचारी भोमाराम महाराज

(ब्रह्मचारी भोमाराम महाराज)

श्री श्री 1008 श्री आशाभारतीजी महाराज
गोल मठ, उम्मेदाबाद

शुभकामना-संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि माही नदी जल को अपने सूखे क्षैत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति ने पुख्ता सबूतों का संग्रहण कर उन्हें एक पुस्तिका का रूप दिया है। यह पुस्तिका क्षैत्र के आमजन तथा किसानों को माही जल बाबत् वास्तविक स्थिति की जानकारी देने हेतु उपयोगी साबित होगी।

मेरे ध्यान में आया है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023 में जालोर-बाड़मेर को पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने हेतु आदेश जारी हुए हैं साथ ही सर्वे-डी.पी.आर. हेतु कार्यवाही जारी है जो क्षैत्र की खुशहाली के लिए अच्छे संकेत है।

मैं शीलेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति द्वारा जालोर-बाड़मेर-सिरोही को माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने हेतु किया जा रहा प्रयास सफल हो।

मेरा आशीर्वाद इनके साथ है।

(आशाभारती महाराज)

श्री श्री 1008 महंत रामपुरीजी महाराज
रामदेवजी मठ, नून

शुभकामना-संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति द्वारा जालोर-बाड़मेर-सिरोही में पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही नदी से हमारे हक का पानी दिलवाने हेतु अथक प्रयास किए जा रहे है।

आमजन हितार्थ कलयुग में किया जाने वाला यह एक सतयुगी प्रयास है जिसकी सफलता न केवल सूखे क्षैत्र में हरियाली लायेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक उत्थान की आधारशिला बनेगी। मेरा आशीर्वाद राजस्थान किसान संघर्ष समिति के सद्प्रयासों के साथ हैं।

(रामपुरी महाराज)

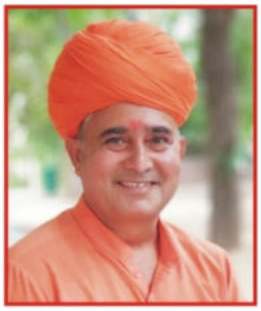

श्री श्री 1008 महंत श्री सत्यानन्दजी ब्रह्मचारी
गादीपति श्री रविधाम

शुभकामना-संदेश

आज के हालातों को देखते हुए पानी जालोर-बाड़मेर-सिरोही क्षैत्र की मुख्य मांग व आवश्यकता है। इस बात को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति बहुत लम्बे समय से संघर्षरत है एवं समिति ने अथक प्रयास कर ऐसे पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर इस पुस्तिका का संकलन किया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इस पुस्तिका में माही जल पर अपना हक क्यों व कैसे है ? तथा माही नदी पर बने बांध कब-कब ओवरफ्लो हुए तथा कितना-कितना पानी व्यर्थ समुद्र में बह गया। उसके सारे साक्ष्य पुस्तिका में दर्ज है।

माही जल बँटवारा समझौता की पालना में राजस्थान सरकार ने अपने हक के पानी को लेकर गुजरात सरकार के साथ कब-कब पत्र-व्यवहार किये। इसका भी उल्लेख इस पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

इसके साथ माही बेसिन जल को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति द्वारा हाईकोर्ट स्तर पर की गई कार्यवाही एवं उसमें जारी निर्देश तथा माही बेसिन जल जालोर-बाड़मेर-सिरोही में उपलब्ध करवाने को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में लेने एवं उस पर आज तक किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है। इससे संबंधित साक्ष्य भी इस पुस्तिका सम्मिलित हैं।

कुल मिलाकर यह साबित होता है कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति द्वारा माही जल को जालोर-बाड़मेर-सिरोही में उपलब्ध करवाने को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काबिले-तारीफ है।

मेरा मानना है कि यह पुस्तिका आम नागरिक, किसानों के हित तथा उनके हक के लिए पानी की जानकारी हेतु बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।

राजस्थान किसान संघर्ष समिति अपने पवित्र लक्ष्य में सफल हो, मैं यह मंगल कामना करता हूँ। मेरा आशीर्वाद इनके साथ हैं।

(सत्यानन्द ब्रह्मचारी)

श्री श्री 1008 महंत श्री पारसरामजी महाराज
जेतेश्वर धाम, सिणधरी

शुभकामना-संदेश

मानसून के अभाव में जालोर-बाड़मेर-सिरोही की नदियाँ सूख गई है। बेरों का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। काश्तकार रोजगार हेतु पलायन करने को मजबूर हो रहे है। ऐसी विषम परिस्थितियों में राजस्थान किसान संघर्ष समिति माही बेसिन जल को इन क्षैत्रों में उपलब्ध करवाने को लेकर लम्बे समय से प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023 में भी इस मामले में सर्वे एवं डी.पी.आर. हेतु स्वीकृति जारी हुई है जो हमारे क्षैत्र के किसानों एवं आमजन के लिए खुशी की बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निकट भविष्य में शीघ्र ही माही बेसिन जल इस सूखी धरा पर उपलब्ध होगा तथा यह क्षैत्र गुजरात की तरह हरा भरा होकर आम किसान खुशहाल होगा।

मेरा आशीर्वाद राजस्थान किसान संघर्ष समिति की टीम के साथ हैं।

महन्त पारसरामजी
जैतेश्वर धाम
सिणधरी

(पारसराम महाराज)

श्री श्री 1008 श्री नरसींगदासजी महाराज
गोविन्दरामजी की बगेची, समदड़ी

शुभकामना-संदेश

पश्चिमी राजस्थान के जिलों जालोर-बाड़मेर में बारिश औसत से भी कम होने के कारण भू-जल स्तर दिन-ब-दिन घट रहा है। इसमें कोई दोहराय नहीं कि अगर मशीनरी की सुविधा नहीं होती तो प्राचीन कालीन छप्पने के काल से भी बदतर हालात है।

ऐसे सूखे व प्यासे हालातों में अगर माही नदी का हमारे हक का पानी या माही नदी का समुद्र में जाने वाला पानी जालोर-बाड़मेर को मिलता है तो वो सूखी पड़ी जमीन व पिछड़े किसानों व सभी नागरिकों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा।

मेरे हृदय को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति आमजन मानस की भावनाओं के अनुकूल माही नदी के बेसिन जल को सूखे होंठों व तपती धरती तक लाने का प्रयास कर रही है।

मेरा आशीर्वाद हरक्षण राजस्थान किसान संघर्ष समिति के साथ है।

नरसीगदास

(नरसींगदास महाराज)

मुख्यमंत्री बजट घोषणा पर आभार

माननीय अशोकजी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की मांग एवं किसानों के हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में बिन्दु संख्या 173 (X) पश्चिमी राजस्थान (जालोर-बाड़मेर-सिरोही) के लिए माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने हेतु सर्वे एवं डी.पी.आर. की घोषणा के उपलक्ष में राजस्थान किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी आभार व्यक्त करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त कर सर्वे एवं डी.पी.आर. की शीघ्र कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौपते हुए समिति के प्रदेश अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष केशरसिंह सिवाणा

माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए समिति के प्रदेश संयोजक विक्रमसिंह पुनासा, प्रदेश उपाध्यक्ष केशरसिंह सिवाणा तथा प्रदेश सचिव गिमरसिंह सूर्यवंशी

माननीय महेन्द्रजीतसिंहजी मालवीया जल संसाधन मंत्री महोदय को माननीय सुखरामजी विश्नोई मंत्री महोदय के साथ माही नदी के ओवरफ्लो पानी को जालोर-बाड़मेर-सिरोही के लिए उपलब्ध करवाने हेतु ज्ञापन देते हुए विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, केशरसिंह सिवाणा, जयवीरजी गोदारा एवं हीराराम चौधरी जैलातरा

माननीय पुखराजजी पाराशर, अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, राजस्थान सरकार से माही बेसिन जल को उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए विक्रमसिंह पुनासा एवं बद्रीदान नरपुरा

माही जल को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रेस कांफ्रेस करते राजस्थान किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी सुरेश व्यास, विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, शंभूदान आशिया गिमरसिंह सूर्यवंशी एवं हुकमसिंह धाणसा

माननीय पुखराजजी पाराशर, अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, राजस्थान सरकार को माही के पानी को लेकर ज्ञापन सौपते हुए राजस्थान किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा एवं हनुमानसिंहजी खोंगटा।

माननीय शिखर अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को मुख्यमंत्री बजट घोषणा की पालना में पश्चिमी राजस्थान के जालोर-बाड़मेर-सिरोही को पेयजल एवं सिचांई हेतु माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र सर्वे एवं डीपीआर तैयार करवाने हेतु ज्ञापन देते हुए विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा एवं केशरसिंह सिवाणा

श्री करणी धाम पंचदेवल, नरपुरा में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री श्री 1008 महंत श्री सत्यानंदजी महाराज, रविधाम गुजरात

श्रीमान् भुवन भास्कर, मुख्य अभियंता महोदय, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर से माही बेसिन जल पेयजल एवं सिंचाई हेतु जालोर-बाड़मेर-सिरोही को उपलब्ध करवाने को लेकर मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा एवं केशरसिंह सिवाणा

माननीय महेन्द्रजीतसिंहजी मालवीय, जल संसाधन मंत्री महोदय एवं माननीय सुखरामजी विश्नोई, मंत्री महोदय के सांचौर आगमन पर माही बेसिन जल को लेकर चर्चा करते हुए विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा एवं हीराराम चौधरी जैलातरा

जालोर-बाड़मेर-सिरोही को माही बेसिन जल (गुजरात के कडाणा बांध का 2/3 हिस्सा) पर प्रमाणित हक का पानी/माही बेसिन जल पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने बाबत् की गई कार्यवाही की झलकियाँ

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली में माननीय गजेन्द्रसिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री महोदय के साथ माननीय जालोर-सिरोही सांसद देवजी एम. पटेल, रानीवाड़ा विधायक महोदय नारायणसिंह देवल एवं जालोर विधायक महोदय जोगेश्वर गर्ग तथा आहोर विधायक महोदय छगनसिंह राजपुरोहित के साथ राजस्थान किसान संघर्ष समिति, जालोर एवं भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियो ने गुजरात के कडाणा बांध का 2/3 हिस्सा पर प्रमाणित हक का पानी पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने को लेकर आर.टी.आई. से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत चर्चा करते हुए विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, सुरेश व्यास, शिवनाथसिंह राजपुरोहित, भलाराम चौधरी एवं सोमाराम चौधरी

माननीय निरंजन आर्य, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान से राजस्थान किसान संघर्ष समिति, जालोर-बाड़मेर के पदाधिकारी एवं हनुमानसिंहजी खोंगटा द्वारा माही बेसिन जल गुजरात के कडाणा बांध से 2/3 हिस्से का प्रमाणित हक का पानी पेयजल व सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आर.टी.आई. से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत समझाईश एवं चर्चा करते हुए विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, केशरसिंह सिवाणा, गिमरसिंह सुर्यवंशी एवं हनुमानसिंहजी खोंगटा।

गुजरात सरकार द्वारा माही नदी पर कडाणा बांध से गुजरात में राजस्थान सरकार की बिना सहमति के निर्मित सुजलाम सुफलाम कच्ची नहर जो करीबन 100 फीट चौड़ी व 50 फीट गहरी का श्री हरीश बाबु शर्मा, अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, जालोर के साथ विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, सुरेश व्यास एवं भलाराम चौधरी मौका निरीक्षण करते हुए
(इस नहर में राजस्थान के हक का भी पानी वर्ष 2005 से गुजरात सरकार उपयोग कर रही है)

माननीय राजेन्द्रसिंह राठौड़, प्रतिपक्ष नेता राजस्थान विधासभा को आर. टी. आई. से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जालोर-बाड़मेर-सिरोही के लिए माही बेसिन जल (गुजरात के कडाणा बांध का 2/3 हिस्सा) का प्रमाणित हक के क्रियान्वित हेतु विस्तृत चर्चा करते हुए राजस्थान किसान संघर्ष समिति, जालोर-बाड़मेर के पदाधिकारी विक्रमसिंह पूनासा, बद्रीदान नरपुरा, केशरसिंह सिवाणा एवं हनुमानसिंहजी खोंगटा।

माननीय गजेन्द्रसिंहजी शेखावत केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय को ज्ञापन सौपते हुए विक्रमसिंह पूनासा, बद्रीदान नरपुरा, सुरेश व्यास एवं हरिराम विश्नोई

माही बांध के जल संसाधन अधिकारियों के साथ माही बांध का निरीक्षण करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा

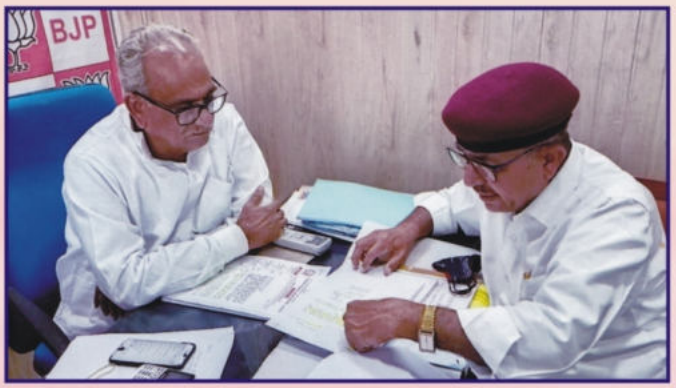

माननीय सांसद महोदय राजेन्द्र गहलोत को आर. टी. आई. से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर माही जल (कडाणा बांध) पर जालोर-बाड़मेर-सिरोही के प्रमाणित हक को लेकर समझाईश करते हुए राजस्थान किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा

राजस्थान किसान संघर्ष समिति की टीम ने माही बांध का निरीक्षण किया जिसमें विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, केशरसिंह सिवाणा, गिमरसिंह सूर्यवंशी, भगवानाराम विश्नोई एवं गोरधनसिंह पिथापुरा

जालोर-बाड़मेर-सिरोही को माही बेसिन जल को पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने हेतु जनहित याचिका से पूर्व विक्रमसिंह पुनासा एवं सुरेश व्यास के नेतृत्व में किए गए आंदोलन एवं सभाओं की एक झलक

सुराज संकल्प यात्रा 2013 के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री माननीया वसुंधरा राजेजी को माही बेसिन जल उपलब्ध कराने को लेकर विशाल किसान सभा भीनमाल में विक्रमसिंह पुनासा के नेतृत्व में ज्ञापन सौपा जिस पर उन्होंने इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था।

पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय ओमजी माथुर के नेतृत्व में माही बेसिन जल उपलब्ध कराने को लेकर पूर्व केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री माननीया उमा भारतीजी को ज्ञापन सौपते विक्रमसिंह पुनासा, सुरेश व्यास एवं भलाराम चौधरी

माननीय देवजी भाई पटेल सांसद महोदय जालोर-सिरोही के नेतृत्व में पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री माननीय सांवरमल जाट से माही जल को लेकर ज्ञापन सौपकर चर्चा करते हुए विक्रमसिंह पुनासा, सुरेश व्यास, भलाराम चौधरी एवं मोडाराम देवासी

माही बांध एवं कडाणा बांध का निरीक्षण करते हुए राजस्थान किसान संघर्ष समिति की टीम

बेणेश्वर धाम (माही-जाखम-सोम नदी) त्रिवेणी संगम जहां से मानसून में अथाह पानी व्यर्थ बहकर खंभात की खाड़ी में जाता है उस स्थान का निरीक्षण करते हुए राजस्थान किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, केशरसिंह सिवाणा एवं शिवनाथसिंह राजपुरोहित

माही बांध के अधिकारियों के साथ समिति के पदाधिकारी

माही बांध के अधिकारियों के साथ बांध का निरीक्षण करते प्रदेश अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा

माही बांध का निरीक्षण करते समिति के पदाधिकारी विक्रमसिंह पुनासा, बद्रीदान नरपुरा, केशरसिंह सिवाणा एवं शिवनाथसिंह राजपुरोहित

सोलंकी प्रिंटिंग प्रेस, जालोर (9460511481)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	R.T.I. के तहत प्राप्त सबूतों के आधार पर सारगर्भित तथ्य	1-3
2.	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में जनहित याचिका संख्या 3637 दिनांक 18.11.2022 में पारित निर्देश एवं पालना में राजस्थान सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी	4-6
3.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में बिन्दु संख्या 173 (X) की पालना में जालोर-बाड़मेर-सिरोही (पश्चिमी राजस्थान) के लिए पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिनांक 19.02.2023	7-37
4.	प्रमुख शासन सचिव महोदय, जल संसाधन विभाग, जयपुर द्वारा गुजरात सरकार को माही नदी जल बँटवारा समझौता 10.01.1966 की पालना को लेकर बैठक आयोजन हेतु लिखा पत्र दिनांक 26.12.2022	38-39
5.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को बजट घोषणा की पालना में शीघ्र सर्वे एवं डी.पी.आर. तैयार करवाने हेतु प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 05.03.2023	40-41
6.	बजट घोषणा की पालना में सर्वे एवं डी.पी.आर. समय पर तैयार करने हेतु श्रीमान् मुख्य अभियंता, जल संसाधन सम्भाग जोधपुर द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को लिखा गया पत्र दिनांक 09.03.2023	42-44
7.	मुख्य अभियंता, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण बैठक कार्यवाही दि. 21.03.2023 के तहत बजट घोषणा की क्रियान्विती हेतु प्रारम्भिक अध्ययन एवं डाटा संग्रहण हेतु गठित उप समिति पत्र दि. 22.03.2023	45

R.T.I. के तहत प्राप्त सबूतों के आधार पर सारगर्भित तथ्य

अपने क्षैत्र में मानसून में औसत से भी कम वर्षा होने से सभी नदियाँ सूख गई हैं। कुओं का भू-जल स्तर बहुत नीचे चला गया है जो अति दोहन क्षैत्र की परिभाषा में आता हैं। किसानों की माली हालत दिन-ब-दिन पानी की तरह गिरती जा रही है। क्षैत्र के लोग देशावर की ओर रोजगार हेतु पलायन कर रहे है।

राजस्थान व गुजरात सरकार के बीच माही नदी जल बँटवारा समझौता दिनांक 10.01.1966 के तहत जालोर व बाडमेर क्षैत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु अपने हक का पानी उपलब्ध करवाने के मामले में राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार, केन्द्र सरकार आदि के विभागों/कार्यालयों से पानी के मामले को लेकर गत 4 वर्षो में 121 बार R.T.I. लगाकर लगभग 1795 पृष्ठो में सबूत प्राप्त किये जिसके आधार पर सारगर्भित तथ्य एवं संबंधित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

01. माही नदी के जल को लेकर राजस्थान सरकार व गुजरात सरकार के बीच माही जल बँटवारा समझौता दिनांक 10.01.1966 के तहत राजस्थान में माही बांध व राजस्थान व गुजरात की सीमा पर गुजरात में कडाणा बांध का निर्माण हुआ।

02. कडाणा बांध के निर्माण के तहत बांध के डूब क्षैत्र में 132 गांव बांसवाडा व डूंगरपुर (राजस्थान) के और 53 गांव गुजरात के प्रभावित हुए तथा उन गांवों के परिवारों को अन्यत्र बसाया गया।

03. खोसला कमेटी की रिपोर्ट एवं माही जल बँटवारा समझौता 10.01.1966 तथा आर.टी.आई. से प्राप्त दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि कडाणा बांध के माही जल से गुजरात के खेड़ा जिले का सिंचित होने वाला क्षैत्र जब नर्मदा जल से सिंचित होने लगेगा तब कडाणा बांध के जल का एक भाग राजस्थान में बांध के भराव क्षैत्र के अनुसार 2/3 हिस्से का 28 टी.एम.सी. पानी (करीबन 4 जवाई बांध के बराबर) कडाणा बांध से 320 किलोमीटर हाईलेवल कैनाल गुजरात की सीमा में से गुजरात द्वारा पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षैत्र जालोर एवं बाड़मेर को पेयजल एवं सिंचाई हेतु दिया जायेगा तथा राजस्थान के हिस्से में आने वाले पानी की मात्रा के अनुसार राजस्थान सरकार गुजरात को बांध निर्माण की लागत का पुनर्भुगतान करेगी। इसी तरह बांसवाड़ा के माही बांध में गुजरात हेतु 40 टी.एम.सी. पानी (लगभग 5 जवाई बांध भरे जाने से भी ज्यादा) आरक्षित रखा जायेगा तथा जब कडाणा बांध से खेड़ा जिला माही जल की जगह नर्मदा जल से सिंचित होने लगेगा तब गुजरात माही बांध में अपने लिए आरक्षित रखे जाने वाले 40 टी.एम.सी. (लगभग 5 जवाई बांध भरे जाने से भी ज्यादा) पानी पर से राजस्थान के लिए अपना हक त्याग देगा तथा माही बांध निर्माण में गुजरात द्वारा वहन की गई राशि का पुनर्भुगतान राजस्थान द्वारा गुजरात को किया जायेगा।

04. दिनांक 10-01-1966 माही जल बँटवारा समझौते की पालना में वर्ष 1979 में कडाणा बांध के निर्माण के बाद हाईलेवल कैनाल निर्माण हेतु राजस्थान सरकार ने गुजरात सरकार से पत्राचार/बैठकें आयोजित कर वार्ता की मगर गुजरात सरकार ने यह कह कर हाईलेवल कैनाल निर्माण करने से मना कर दिया कि कैनाल निर्माण में गुजरात के कास्तकारों की बड़ी मात्रा में बेशकिमती जमीन कैनाल के नीचे जाने के कारण काश्तकारान आन्दोलन पर उतारू हैं।

गुजरात सरकार द्वारा समझौते की पालना से मुकरने पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान की सीमा में से ही डूंगरपुर जिले के टीमूरवा गांव (माही नदी) से जालोर में भीनमाल तहसील के बिसाला गांव

तक 259 कि.मी. लम्बी सुरंग/नहर से उक्त पानी जालोर व आगे बाड़मेर के लिये पेयजल एवं सिंचाई हेतु लाना प्रस्तावित किया जिसमें करीबन 32 लाख बीघा जालोर-बाड़मेर की कृषि भूमि सिंचित होना प्रस्तावित था। सन् 1984 में एक वृत की भी स्वीकृति हो गई थी।

उक्त योजना की Tentative Cost 3340 करोड़ थी लेकिन सन् 1988 में उक्त योजना रोक दी गई।

05. गुजरात सरकार ने नर्मदा ट्रिब्यूनल के समक्ष सम्पूर्ण गुजरात (खेड़ा जिला सिंचित करने सहित) के लिए 8 MAF नर्मदा-जल आवंटन करने हेतु शपथ-पत्र दिया लेकिन नर्मदा ट्रिब्यूनल ने गुजरात सरकार को मांग से अधिक 9 MAF नर्मदा जल आंवंटित किया। जबकि वहीं राजस्थान को नर्मदा ट्रिब्यूनल ने मात्र 0.5 M.A.F. अर्थात् गुजरात को आवंटित नर्मदा-जल का 18 वां भाग जल ही आवंटित किया।

06. गुजरात का खेड़ा जिला नर्मदा जल से वर्ष 2005 से सिंचित होने लगा। समझौते की शर्त के मुताबिक गुजरात राज्य द्वारा हमें हमारे हक का पानी वर्ष 2005 से दिया जाना था जो आज दिन तक नहीं दिया गया है।

07. वर्ष 2006 से गुजरात सरकार ने कडाणा बांध से हमारे हक के पानी को हमें नहीं देकर राजस्थान की बिना सहमति के 337 किलोमीटर लम्बी सुजलाम सुफलाम कच्ची नहर (करीबन 100 फीट चौड़ी व 50 फीट गहरी है) जो गुजरात की सीमा में हाईलेवल कैनाल के समरुप है, बनाई। जिसमें आज दिन तक हमारे हक के पानी का भी उपयोग गुजरात सरकार कर रही है तथा माही बांध के पानी पर भी गुजरात राज्य ने अपना अधिकार नहीं त्यागा है।

08. नर्मदा मुख्य नहर उप समिति की तैंतीसवीं बैठक दिनांक 04.10.2017 को गांधी नगर में आयोजित की गई। जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि खेड़ा जिला नर्मदा जल से पूर्णरूप से विकसित हो गया है।

09. माही बांध के आगे बेणेश्वर धाम के पास माही नदी में सोम व जाखम नदियाँ भी उसके साथ में आकर मिलती हैं और मानसून में माही बेसिन का अथाह पानी (तीनों बांधों के ऑवरफ्लो के कारण) कडाणा बांध के भराव के बाद ऑवरफ्लो होकर 1984 से 2022 तक औसतन प्रतिवर्ष 125 T.M.C. (एक वर्ष में 17 बार जवाई बांध भर जाये) पानी व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है।

10. माही जल बँटवारा समझौता 10.01.1966 के पैरा संख्या-1 व 5 की पालना हेतु राजस्थान सरकार ने गुजरात सरकार को कई बार बैठक आयोजित करने हेतु पत्र व्यवहार किये मगर गुजरात सरकार ने आज दिन तक ना तो बैठक हेतु तारीख तय की और ना ही पत्रों का जबाव दिया।

11. राजस्थान किसान संघर्ष समिति ने सूखा प्रभावित एवं पानी की गंभीर समस्या से हमेशा ग्रसित जालोर-बाड़मेर के लिये पेजयल व सिचांई हेतु माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में RTI के आधार पर रिट (जनहित याचिका) संख्या-3637/2021 दर्ज करवाई।

12. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने इस रिट पर राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकर से जबाव मांगा। राजस्थान सरकार ने अपने जबाव में बताया कि जालोर व बाड़मेर में पानी की गंभीर समस्या है और यदि इस क्षैत्र में माही और कडाणा बांध का ऑवरफ्लो पानी उपलब्ध करवाया जावे तो क्षैत्र में बड़े पैमाने पर आमजन लाभान्वित होंगे।

13. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने बाद सुनवाई के दिनांक 18.11.2022 को राजस्थान किसान संघर्ष समिति द्वारा जनहित याचिका (रिट) में बताये गये चार सुझावों में से किसी एक सुझाव पर या सरकार अपने स्तर पर अन्य कोई उचित उपाय सोचकर जालोर-बाड़मेर में पेयजल व सिंचाई की सुविधाओं के लिए माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने हेतु प्लान बनाकर पेश करने हेतु राजस्थान सरकार को निर्देश दिये।

14. राजस्थान सरकार ने माननीय न्यायालय के निर्देश की पालना हेतु आवश्यक जांच व प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने हेतु दिनांक 10.01.2023 को उच्च अधिकारियो की टीम गठित की।

15. माननीय अशोकजी गहलोत, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने किसानों की मांग एवं किसानों के हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में बिन्दु संख्या-173(x) पश्चिमी राजस्थान (जालोर, बाडमेर व सिरोही) के लिये माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने हेतु सर्वे एवं डी.पी.आर. की घोषणा की।

16. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उक्त बजट घोषणा की पालना में श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भाग, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 5138 दिनांक 09.03.2023 के द्वारा श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर को पत्र लिखकर सर्वे एवं डी.पी.आर. समय पर सम्पन्न करने हेतु सक्षम एजेन्सी को विधिवत कार्य देने का निवेदन किया ।

17. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 00033/2023 दिनांक 22.03.2023 (बैठक 21.03.2023) के तहत उक्त बजट घोषणा की पालना में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सर्वे करने हेतु एक उप समिति गठित की गई है जो संयुक्त समिति के नेतृत्व में कार्य करेगी।

I - माही बेसिन में उपलब्ध अधिशेष/ओवरफ्लो जल एवं पिछले 30 वर्षों में कुल जल आवक की गणना।

II - माही बेसिन जल को राजस्थान की सीमा में ही डायवर्ट करने हेतु उपयुक्त स्थान का चयन।

III - माही बेसिन जल को लूणी बेसिन में डायवर्ट कर जालोर जिले के प्रस्तावित सिंचित क्षैत्र तक पहुंचाने हेतु उचित मार्ग का चयन।

IV - माही बेसिन के महत्वपूर्ण स्थानों के फील्डलेवल की जांच।

V - माही बेसिन व लूणी बेसिन के गूगल मेप।

18. उपर्युक्तानुसार राजस्थान किसान संघर्ष समिति अपने क्षैत्र में माही बेसिन जल उपलब्ध करवाने हेतु कृतसंकल्पित है -

विक्रमसिंह पुनासा

(विक्रमसिंह पुनासा)
प्रदेश संयोजक
राजस्थान किसान संघर्ष समिति

23/4/23

(बद्रीदान नरपुरा)
प्रदेश अध्यक्ष
राजस्थान किसान संघर्ष समिति

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 3637/2021

Rajasthan Kisan Sangharsh Samiti

----Petitioner

Versus

Union of India & Ors.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Ankur Mathur
For Respondent(s) : Mr. Mukesh Rajpurohit, Dy. S.G.
Mr. Sunil Beniwal, A.A.G.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE MR. PANKAJ MITHAL
HON'BLE MS. JUSTICE REKHA BORANA

Order

18/11/2022

By means of this writ petition, the petitioner in public interest wants that the State of Rajasthan be directed to provide drinking water and water for irrigation and sanitation to the districts of Jalore and Barmer.

The petitioner in addition to the above demands before the Court has also suggested certain solutions for resolving the aforesaid problem. One of the suggestions is diversion of water from the Mahi Bajaj Sagar Dam which is popularly known as Banswara Dam situated across the river Mahi. The second alternative suggestion is diversion of water from river Mahi. The third suggestion is that the overflow water of river Mahi be channelized and supplied to the above two districts. Lastly, the suggestion is for the interlinking of river Mahi with Luni river.

The State has filed reply to the writ petition and on principle has agreed that there is scarcity of water in the above two

(Downloaded on 21/11/2022 at 07:42:30 PM)

districts and that steps have to be taken to arrange for the supply of water, however, the State falls short of suggesting any scheme in this regard. It also fails to show if any steps in the above direction to resolve the said problem has been undertaken by it.

Shri Sunil Beniwal, learned Additional Advocate General is directed to seek instructions if the State of Rajasthan is prepared to consider any of the above suggestions and to draw a scheme for resolving the water scarcity problem of the two districts. Alternatively, the State may also come out with any other better scheme which it may consider more appropriate. He may seek instructions in this regard within a period of one month. He may also inform the Court as to the steps taken by the State Government so far in removing the water scarcity problem of the two districts.

List the matter in [illegible] 2023.

(REKHA BORANA),J **(PANKAJ MITHAL),CJ**

45-AnilKC/Sachin/-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

(Downloaded on 21/11/2022 at 07:42:30 PM)

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :–एफ.4(33)एएसआई/सैल/2021/ 66 दिनांक :– 10-01-2023

कार्यालय आदेश

डी. बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) 3637/2021 राजस्थान किसान संघर्ष समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना में बनाई जाने वाली कार्ययोजना हेतु माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित कार्य की प्रि.–फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु निम्न अधिकारियों की कमेटी का गठन किया जाता है :–

1. अधीक्षण अभियता, निर्माण वृत्त, माही परियोजना, बांसवाडा।
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, जोधपुर।
3. अधीक्षण अभियंता–II, राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, जालोर (सदस्य सचिव)।

उक्त गठित कमेटी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 की पालना में बनाई जाने वाली कार्ययोजना हेतु माही बांध / माही बांध के डाउन स्ट्रीम में अधिशेष जल की उपलब्धता, प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत तथा कार्य का गूगल मैप आधारित संरेखण आदि को शामिल करते हुए कार्य की प्रि.–फिजिबिलिटी रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करेगी।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी.क्रमांक MR NO.45 /PS/ACS/CAD & WRD दिनांक 06.01.2023 से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(के. एम. जायसवाल)
उप सचिव एंव प्रा.सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :–एफ.4(33)एएसआई/सैल/2021/ 67 दिनांक :– 10-01-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर।
2. मुख्य अभियंता, राजस्थान रिवर बेसिन एंव प्राधिकरण, सिंचाई भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. अतिरिक्त अभियंता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
4. अधीक्षण अभियता, निर्माण वृत्त, माही परियोजना, बांसवाडा।
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, जोधपुर।
6. अधीक्षण अभियंता–II, राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, जालोर (सदस्य सचिव)।

उप सचिव एंव प्रा.सहा.

जय किसान।। जय विज्ञान।।

रजि. नं. : COOP/2019/JALORE/101089 दिनांक : 10-06-2019

राजस्थान किसान संघर्ष समिति, जालोर-बाड़मेर

गैर राजनीतिक संगठन

पंजीकृत कार्यालय : श्री करणी धाम पंचदेवल, नरपुरा (जालोर)

ब्रांच ऑफिस : बालोतरा रोड़ - सिवाना, गौर का चौक - समदड़ी (बाड़मेर)

-: पदाधिकारी :-

विक्रमसिंह पुनासा
प्रदेश संयोजक
मो. 9414375189

बद्रीदान नरपुरा
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 9414544817

केशरसिंह राठौड़
प्रदेश उपाध्यक्ष
मो. 9649933554

सुनील राजपुरोहित
प्रदेश उपाध्यक्ष
मो. 9448787187

शिवनाथसिंह राजपुरोहित
प्रदेश उपाध्यक्ष
मो. 9982608401

गिमरसिंह सूर्यवंशी
प्रदेश सचिव
मो. 9636170895

सुरेश कुमार व्यास
प्रदेश कोषाध्यक्ष
मो. 9166660883

शम्भूदान आशिया
विधि सलाहकार
मो. 9460716175

क्रमांक : 127 दिनांक 19.2.23

सेवामें,

माननीय अशोक जी गहलोत,
मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय :– माही डेम से कडाणा डेम तक के वर्षा जल प्रवाह क्षेत्र में माही बांध का ऑवरफ्लो फ्लड डिचार्ज में सोम नदी, जाखम नदी एवं समस्त सम्मिलित होने वाले वर्षा जल को बेणेश्वर से कडाणा के मध्य राजस्थान की सीमा में उपयुक्त स्थान पर जल संग्रहण कर अति सुखा क्षैत्र जालोर एवं बाडमेर में पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने बाबत्।

प्रसंग :– माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर जनहित याचिका संख्या–3637/2021 दिनांक 18.11.2022 में पारित निर्देशों एवं हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में उपरोक्त विषयान्तर्गत बाबत सर्वे एवं परियोजना की डीपीआर शीघ्रताशीघ्र तैयार कर परियोजना की क्रियान्वीती हेतु सादर निवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक निर्देश तथा बजट घोषणा के संबंध में निवदेन है कि जालोर एवं बाड़मेर जिला सुखा ग्रस्त क्षेत्र है, जहॉ पूर्व में माही जल उपलब्ध करवाने बाबत् गुजरात एवं राजस्थान सरकार के बीच दिनांक 10.01.1966 को समझौता हुआ था, जिसके तहत् पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही जल उपलब्ध करवाया जाना था, लेकिन आज तक उस समझौते की पालना नहीं होने पर राजस्थान किसान संघर्ष समिति, जालोर द्वारा एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में 3637/2021 दर्ज की गई। (नकल पृष्ठ संख्या–4 से 5 तक संलग्न है)

यह है कि जल संसाधन विभाग तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू–जल विभाग एवं जल संसाधन खण्ड जालोर से प्राप्त तकनीकी आंकडे से यह स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि जालोर एवं बाडमेर जिले अति सुखा ग्रस्त एवं अति दोहन की श्रेणी में आते है। इन क्षैत्रो में मानसून आवक आवृति 3 से 5 वर्ष में होने एवं प्रतिवर्ष जल स्तर लगभग 0.53 मीटर निचे गिरने के कारण भूमिगत जल मात्रा एवं गुणवत्ता दोनो पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है एवं भू–गर्भ जल में फ्लोराईड की मात्रा बढने के कारण सभी कृषको के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड रहा है। अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना वृत सांचोर से प्राप्त आर.टी.आई. अनुसार जिले के 793 ग्रामो में से अभी तक 487 ग्रामो को नर्मदा परियोजना के तहत पेयजल से जोडा गया है। मगर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति समय पर नही होने एवं नर्मदा पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही होने पर स्थानीय स्त्रोतों से प्राप्त जल मिश्रीत कर फ्लोराईड युक्त जल उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसमें फ्लोराईड की मात्रा अधिक अर्थात 2.50 पी. पी. एम. (जबकि स्वास्थ्य के लिए अधिकतम अनुमत मात्रा 1.00 पी.पी.एम. है) होने से लोगो के स्वास्थ्य पर कूप्रभाव पड रहा है। (आर.टी.आई. की नकल पृष्ठ संख्या–.....6..... से .....9..... तक संलग्न है)

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रासंगिक जनहित याचिका में दिनांक 18.11.2022 को राज्य सरकार को जालोर एवं बाड़मेर में पेजयल एवं सिंचाई हेतु माही जल उपलब्ध करवाने के लिये एक प्लान तैयार कर पेश करने के निर्देश दिये है, जिसकी पालना हेतु श्रीमान मुख्य अभियंता जल संसाधन जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 66 दिनांक 10.01.2023 के कमेटी का गठन कर कमेटी को माननीय उच्च न्यायालय की अक्षरशः पालना हेतु निर्देशित किया है। (नकल पृष्ठ संख्या–.....10..... से .....12..... तक संलग्न है)

यह है कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट घोषणा में पश्चिमी राजस्थान (जालोर, बाडमेर व सिरोही) के लिए पेयजल एवं सिंचाई हेतु माही नदी जल उपलब्ध करवाने हेतु डीपीआर बनाने की घोषणा की है। (बजट घोषणा का पृष्ठ संख्या–.....13..... संलग्न है)

निवेदन यह है कि माही बांध के ओवरफ्लो पानी के साथ जाखम बांध व सोम, आम्बा, कमला बांध का भी ओवरफ्लो पानी, जो बेणेश्वर के आगे माही नदी में मिलकर कडाणा बांध के साथ ओवरफ्लो होकर वर्ष 1984 से 2022 तक औसत प्रतिवर्ष 125 टी.एम.सी. पानी व्यर्थ बहकर खम्भात की खाडी (समुन्द्र) में बह गया है। यदि इस व्यर्थ बहने वाले पानी को जालोर–बाडमेर के लिए पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध

करवाया जायें तो क्षेत्र के किसानों को शुद्ध पेयजल के साथ–साथ किसानों की माली हालत सुधरेगी, जिसकी पुष्टि राजस्थान सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रेषित जवाब से भी होती है। (आर.टी.आई. की नकले पृष्ठ संख्या–14 से 29 तक संलग्न है)

यह है कि मानसून में ऑवरफ्लो होकर व्यर्थ बहने वाले माही जल उपलब्ध करवाने पर पेयजल एवं सिंचाई हेतु वृहद स्तर पर क्षेत्र के आमजन लांभान्वित होगे। अतः इस हेतु योजना बनाने में लाभ लागत अनिवार्यता नहीं देखी जाती है।
(आर.टी.आई. की नकल पृष्ठ संख्या–30 से 31 संलग्न है)

लिहाजा निवेदन है कि माही बेसिन से व्यर्थ बहकर समुन्द्र में जाने वाले पानी को रोक कर पश्चिमी राजस्थान (जालोर, बाडमेर, सिरोही) की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने तथा सुखी पडी भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये डूंगरपुर जिले के तीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम के नीचे राजस्थान की सीमा में माही नदी बेसिन पानी का संग्रहण कर जालोर, बाडमेर व सिरोही जिले को जल उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण तथा डी.पी.आर. तैयार करवाई जावें ।

आप द्वारा बजट घोषणा 2023–24 में पहल कर परियोजना की डी.पी.आर. घोषणा करने से पश्चिमी राजस्थान का गांव–गांव आपका आभार प्रकट कर रहा हैं। इस नेक काम से आपको यहां की जनता युगों–युगों तक याद करेंगी।

हमारा करबद्ध निवेदन है कि सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करवाकर आपके इसी कार्यकाल में डी.पी.आर. का अनुमोदन करवाकर क्षैत्र की जनता को लाभान्वित करावें।

इति दिनांक :– 19.2.23

भवदीय

सलंग्न :–उपरोक्तानुसार।

प्रदेश उपाध्यक्ष
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

प्रदेश उपाध्यक्ष
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

प्रदेशाध्यक्ष
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

विक्रम सिंह पुबासा
प्रदेश संयोजक
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

प्रदेश सचिव
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

19/2/23
प्रदेश कोषाध्यक्ष
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 3637/2021

Rajasthan Kisan Sangharsh Samiti

----Petitioner

Versus

Union Of India

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Kuldeep Mathur
Mr. Ankur Mathur

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
RAJASTHAN HIGH COURT

HON'BLE MR. JUSTICE SANGEET LODHA
HON'BLE MR. JUSTICE RAMESHWAR VYAS

Order

19/03/2021

Heard.

Issue notice, returnable within four weeks.

(RAMESHWAR VYAS),J **(SANGEET LODHA),J**

64-Shahenshah/-

सत्यमेव जयते

(Downloaded on 23/03/2021 at 07:11:05 PM)

Inward No. 8136
Certified P.S. Copy of orders S.A.

Manual limit allowed

5

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT

JODHPUR

D. B. CIVIL (P.I.L.) WRIT PETITION NO. 3637/2021

राजस्थान उच्च न्यायालय की मोहर जोधपुर

PETITIONER:

Rajasthan Kisan Sangharsh Samiti, Jalore through its President Shri Badri Dan Narpura S/o Pabu Dan, Aged about 63 years, R/o Village Narpura, Post Sarat, Tehsil Jalore, District Jalore, Rajasthan.

VERSUS

RESPONDENTS:

1. Union of India through Secretary, Ministry of Jal Shakti, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.

2. State of Rajasthan through the Chief Secretary, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.

3. Secretary, Department of Water Resource and Irrigation, Secretariat Jaipur.

4. Secretary, Department of Public Health and Engineering, Secretariat Jaipur.

***

D.B. WRIT PETITION (P.I.L.) UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

13 JUL 2021
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

AND

OATH COMMISSIONER
REVENUE CRIMIN CIVI
RAJ HIGH COURT JODHPUR

GOURND WATER RESOURCES OF JALORE DISTRICT :

All the blocks of Jalore district falls in over-exploited category, according to latest ground water assessment of 2013, approved by Central Ground water Board. Block wise ground water resources (as on 2013) is tabulated below :-

S. No.	Block	Annual GW Avaibility (in MCM)	Annual GW Exploitation (in MCM)	Stage of GW Dev. (%)	Category
1	AHORE	26.99	32.47	120.32	Over- Exploited
2	BHINMAL	68.98	157.16	227.85	Over- Exploited
3	JALORE	40.61	59.92	147.56	Over- Exploited
4	JASWANTPURA	46.01	65.69	142.79	Over- Exploited
5	RANIWARA	50.88	119.35	234.56	Over- Exploited
6	SANCHORE	63.85	128.04	200.54	Over- Exploited
7	CHITALWANA	63.61	60.74	95.49	Over- Exploited
8	SAYALA	65.53	208.22	317.75	Over- Exploited
	District	**426.45**	**831.59**	**195**	**Over- Exploited**

The stage of ground water extraction of the district is 195% . In Jalore district Central Ground Water Authourity , New Delhi has notified five blocks (Jalore, Bhinmal, Raniwara, Sanchore and Sayala) and has imposed restriction an construction of new tubewells for any activity other than drinking purpose.

22/4/19
प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक
सर्वेक्षण एवं अनुसंधान
भू-जल विभाग, जालोर

7

Mahi –Luni/519 dated 14-03-2018 के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता को यू.ओ.नोट संख्या 862 दिनांक 15.03.2018 के माध्यम से सूचित किया गया कि मौजुदा परिस्थितियों में माही बेसिन के जल का लूनी बेसिन जल में परस्पर अपवर्तन (Inter Basin Diversion) को उपादेय (Feasible) नहीं माना हैं। फिर भी गुजरात सरकार द्वारा निर्मित सुजलाम सुफलाम नहर जिसका एलाइनमेण्ट पूर्व में विचारित कडाणा हाई लेवल केनाल समरूप ही हैं जो राजस्थान की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर हैं, को आगे बढाकर राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जालोर सिरोही को पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जा सकता हैं तथा दोनों राज्यों के बीच द्विपक्षीय एग्रीमेण्ट दिनांक 10.01.1966 के पेरा संख्या 1 की पालना की जा सकती हैं।

जालोर एवं बाड़मेर जिले में भू–जल स्तर एवं गुणवत्ता बेहद दयनीय एवं चिन्ताजनक है जैसा कि प्रभारी भू–जल विभाग जालोर की प्रेषित रिपोर्ट से प्रदर्शित है एवं वर्षा के अभाव में अकाल की स्थिति रहती हैं। मानसून के कारण तीन से पांच वर्षों में ही जल की आवक होती हैं एवं इस क्षेत्र के कृषक मानसून पर ही निर्भर हैं। यदि माही जल को इस क्षेत्र में लाया जाये तो यहां के गरीब कृषक वर्ग के लिए जीवनदायनी साबित हो सकता हैं एवं जालोर, सिरोही, बाड़मेर क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति एवं गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्धता में सकारात्मक सुधार अपेक्षित है।

प्रभारी भूजल वेज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान भूजल विभाग जालोर की रिपोर्ट 22.04.2019 के अनुसार जालोर जिला अति दोहन (Over Exploited) की श्रेणी में है एवं रिपोर्ट दिनांक 25.09.2021 अनुसार भूजल स्तर (सतह से गहराई) 6 से 93 मी. तक परिलक्षित होती है एवं 2001 से 2021 के मध्य प्रतिवर्ष जल स्तर में औसत गिरावट 0.53 मी दर्ज की गयी है। (रिपोर्ट संलग्न)

खोसला कमेटी की रिपोर्ट एवं एग्रीमेंट दिनांक 10.01.1966 के पेरा संख्या 1 के अनुसार निर्मित कडाणा बांध से खेड़ा जिले में सिंचाई क्षेत्र (माही कमाण्ड) में जब नर्मदा जल से सिंचित होने पर केचमेन्ट एरिया अनुसार कडाणा बांध का 66 प्रतिशत राजस्थान के हिस्से का पानी हाई लेवल केनाल से जालोर और बाड़मेर के लिए पेयजल और सिंचाई के लिए दिया जाने का सुझाव दिया गया। तदन्तर वर्ष 2005 में खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी उपलब्ध होने पर जालोर, बाड़मेर जिलों को कडाणा बांध का राजस्थान हिस्से का पानी नहीं लोटाकर गुजरात सरकार नें वर्ष 2006 में सुजलाम सुफलाम नहर लगभग 337 किलोमीटर उत्तरी गुजरात में सिंचाई हेतु बना कर

सूचना के अधिकार के तहत
प्रमाणित-प्रति

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड
जालोर (राज.) कोड-614

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना वृत सांचौर

N.H.-68 PHED Campus Sanchore
E-mail : seproj.jal.phed@rajasthan.gov.in Ph. No. 02979-283007

क्रमांक अअ/जनस्वा/परि./वृसां/F.RTI/2022–23/2095 दिनांकः– 30.01.2023

श्री बद्रीदान,
ग्राम नरपुरा पोस्ट सरत जिला जालोर

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् ~~प्रथम अपील~~ सूचना के सम्बंध में।
सन्दर्भ :– आपका आवेदन दिनांक 23.12.2022 एवं इस कार्यालय मे प्राप्ति दिनांक 03.01.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् चाही गई सूचना निम्नानुसार है :–

1. वर्ष 2011 की जनगणनानुसार नर्मदा परियोजना से नियमित जलापूर्ति (पेज संख्या 01 से 13 तक) एवं पेयजल से वंचित मौजूदा में ग्रामों की सूची सलंग्न है। (पेज संख्या 14 से 20 तक)

2. परियोजनावार प्रस्तावित लाभान्वित व शेष मौजूदा ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित		वर्तमान में लाभान्वित		शेष	
		गांव	शहर	गांव	शहर	गांव	शहर
1.	एफ.आर. परियोजना	285	0	285	0	0	0
2.	डी.आर. परियोजना	160	1	160	1	0	0
3.	ई.आर. परियोजना	306	1	0	0	306	1
4.	यूडब्ल्यूएसएस जालोर	14	1	14	1	0	0
5.	सिल्लू जैसला भाटकी योजना	28	0	28	0	0	0
	योग :–	793	03	487	03	306	01

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

(के. एल. कान्त)
अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना वृत सांचौर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड जालोर

कमांक : अअ/जनस्वा/RTI/2022–23/3170 दिनांक :– 12/1/2023

श्री बद्रीदान
मुकाम नरपुरा, पोस्ट सरत
जिला जालोर।

रजि0 ए0डी0

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के कम में ।
सन्दर्भ :– आपका आवेदन दिनांक 31.12.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित आवेदन पत्र के तहत सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) की अन्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार इस प्रकार है:–

क्र.सं.	प्रश्न संख्या	प्रतिउत्तर
1.	जालोर कस्बा और अन्य ग्राम जो आपके क्षैत्राधिकार में नर्मदा पेयजल से कब से जुड़े है। ग्रामो की सूची सहित उपलब्ध करावें।	जालोर शहर एवं ग्रामो को नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना से माह जून 2015 से पेयजल से लाभान्वित किया जा रहा है। कस्बा सहित ग्रामो की सूची सलंग्न है।
2.	क्या उसी दिन से जालोर कस्बे में तथा आपके क्षैत्राधिकारी ग्रामों में पर्याप्त नर्मदा पेयजल गुणवत्तायुक्त शुद्व पेयजल सप्लाई हो रहा है या नर्मदा शुद्व गुणवत्तायुक्त पर्याप्त आपूर्ति के अभाव में स्थानीय फ्लोराईडयुक्त पानी मीलाकर आपूर्ति की जा रही है। यदि ऐसा है तो नर्मदा एवं स्थानीय जल की मिक्स की मात्रा किस अनुपात में है?	जालोर शहर को परियोजना की पेयजल जल सप्लाई शुरू होने की दिनांक से ही शहर एवं ग्रामो में पेयजल सप्लाई शुरू कर दी गई थी, तथा इसमे 216 ग्रामो में पेयजल हेतु नर्मदा परियोजना एवं लॉकल स्त्रोतो से पानी की आपूर्ति की जाती है। शेष 43 ग्रामों में स्थानीय स्त्रोतो एवं सोलर प्लांट एवं DFU Plant और R.O. Plant के द्वारा मीठे पानी की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जालोर शहर एवं ग्रामो में नर्मदा परियोजना एवं स्थानीय स्त्रोतो से उपलब्ध जल का अनुपात 3:1 से की जा रही है। इस प्रकार स्थानीय पेयजल में फलोराईड की मात्रा 2.50 PPM है।
3	क्या मौजूदा पेयजल आपूर्ति में शुद्व पेयजल में क्या अधिक मात्रा फ्लोराईड है?	हॉ, स्थानीय स्त्रोतो से प्राप्त पेयजल में फलोराईड अधिक मात्रा में है। (जो नर्मदा परियोजना के पर्याप्त सप्लाई के अभाव में स्थानीय स्त्रोत से प्राप्त पेयजल को मिक्स कर सप्लाई की जा रही है।)

(श्याम बिहारी बैरवा)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
खण्ड जालोर

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 3637/2021

Rajasthan Kisan Sangharsh Samiti

----Petitioner

Versus

Union of India & Ors.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Ankur Mathur
For Respondent(s) : Mr. Mukesh Rajpurohit, Dy. S.G.
Mr. Sunil Beniwal, A.A.G.

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE MR. PANKAJ MITHAL
HON'BLE MS. JUSTICE REKHA BORANA

Order

18/11/2022

By means of this writ petition the petitioner in public interest wants that the State of Rajasthan be directed to provide drinking water and water for irrigation and sanitation to the districts of Jalore and Barmer.

The petitioner in making the above demands before the Court has also suggested certain solutions for resolving the aforesaid problem. One of the suggestions is diversion of water from the Mahi Bajaj Sagar Dam which is popularly known as Banswara Dam situated across the river Mahi. The second alternative suggestion is diversion of water from river Mahi. The third suggestion is that the overflow water of river Mahi be channelized and supplied to the above two districts. Lastly, the suggestion is for the interlinking of river Mahi with Luni river.

The State has filed reply to the writ petition and on principle has agreed that there is scarcity of water in the above two

(Downloaded on 21/11/2022 at 07:42:30 PM)

districts and that steps have to be taken to arrange for the supply of water, however, the State falls short of suggesting any scheme in this regard. It also fails to show if any steps in the above direction to resolve the said problem has been undertaken by it.

Shri Sunil Beniwal, learned Additional Advocate General is directed to seek instructions if the State of Rajasthan is prepared to consider any of the above suggestions and to draw a scheme for resolving the water scarcity problem of the two districts. Alternatively, the State may also come out with any other better scheme which it may consider more appropriate. He may seek instructions in this regard within a period of one month. He may also inform the Court as to the steps taken by the State Government so far in removing the water scarcity problem of the two districts.

List the matter in [illegible] 2023.

(REKHA BORANA),J **(PANKAJ MITHAL),CJ**

45-AnilKC/Sachin/-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

(Downloaded on 21/11/2022 at 07:42:30 PM)

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :–एफ.4(33)एएसआई/सैल/2021/ 66 दिनांक :– 10-01-2023

कार्यालय आदेश

डी. बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) 3637/2021 राजस्थान किसान संघर्ष समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना में बनाई जाने वाली कार्ययोजना हेतु माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित कार्य की प्रि.–फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु निम्न अधिकारियों की कमेटी का गठन किया जाता है :–

1. अधीक्षण अभियता, निर्माण वृत्त, माही परियोजना, बांसवाडा।
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, जोधपुर।
3. अधीक्षण अभियंता–II, राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, जालोर (सदस्य सचिव)।

उक्त गठित कमेटी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 की पालना में बनाई जाने वाली कार्ययोजना हेतु माही बांध / माही बांध के डाउन स्ट्रीम में अधिशेष जल की उपलब्धता, प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत तथा कार्य का गूगल मैप आधारित संरेखण आदि को शामिल करते हुए कार्य की प्रि.–फिजिबिलिटी रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करेगी।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी.क्रमांक MR NO.45 /PS/ACS/CAD & WRD दिनांक 06.01.2023 से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(के. एम. जायसवाल)
उप सचिव एंव प्रा.सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :–एफ.4(33)एएसआई/सैल/2021/ 67 दिनांक :– 10-01-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर।
2. मुख्य अभियंता, राजस्थान रिवर बेसिन एंव प्राधिकरण, सिंचाई भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. अतिरिक्त अभियंता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
4. अधीक्षण अभियता, निर्माण वृत्त, माही परियोजना, बांसवाडा।
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, जोधपुर।
6. अधीक्षण अभियंता–II, राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, जालोर (सदस्य सचिव)।

उप सचिव एंव प्रा.सहा.

कमाण्ड क्षेत्र में 463 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण करवाया जायेगा।

VIII. बूंदी जिले में मेज नदी पर लाखेरी के पास गांव उतराना, माल की झोपड़िया, चुमावली, बुढेल एवं अन्य गांवों; कोटा जिले में ब्रिजलिया; बारां जिले में ग्राम कैथूडी, मोहम्मदपुर इत्यादि तथा झालावाड़ जिले में घूघवा में 82 करोड़ रुपये की लागत से माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के कार्य करवाये जायेंगे।

IX. राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 34 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग तथा राजस्थान फीडर व सरहिन्द फीडर के जीर्णोद्धार/अपग्रेडेशन के कार्य 500 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

X. माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने के साथ माही बांध एवं नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवाकर पश्चिमी राजस्थान कैनाल परियोजना की डीपीआर बनायी जायेगी।

174. **इंदिरा गांधी नहर परियोजना** में लगभग **एक हजार 450 करोड़ रुपये** की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी अन्य कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूँ। प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं–

I. मुख्य नहर से निकलने वाली शाखाओं–अनूपगढ़ ब्रांच, सूरतगढ़ ब्रांच, रावतसर ब्रांच एवं पूगल ब्रांच तथा इनकी वितरिकाओं /माइनरों एवं मुख्य नहर की आर.डी. 0 से आर.डी. 620 से निकलने वाली सीधी वितरिकाओं के जीर्णोद्धार के कार्य 733 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाँध खण्ड–प्रथम, माही परियोजना, बाँसवाड़ा

क्रमांक : अ.अ./बाँध खण्ड–I/सु.अ./2019/1538 दिनांक 25/7/19

श्री बद्रीदान नरपुरा
पाबुदानजी
गाँव–नरपुरा पोस्ट–सरत
जिला–जालौर (राज.)
Pincode - 343025

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा (6) (1) के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत आप द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्न :– प्रपत्र

अधिशासी अभियन्ता
बाँध खण्ड–प्रथम
माही परियोजना, बाँसवाड़ा

Yearwise Overflow Data of Mahi Dam

S.No.	Year	Overflow (In T.M.C.)
1	2	3
1	1984	57.1283
2	1985	Nil
3	1986	32.645
4	1987	Nil
5	1988	14.640
6	1989	Nil
7	1990	67.5014
8	1991	36.168
9	1992	Nil
10	1993	6.253
11	1994	125.689
12	1995	Nil
13	1996	72.4539
14	1997	34.882
15	1998	31.9549
16	1999	Nil
17	2000	Nil
18	2001	Nil
19	2002	Nil
20	2003	13.6898
21	2004	33.6628
22	2005	Nil

अधिशासी अभियन्ता
माही परियोजना बांध खण्ड प्र.-
बांसवाड़ा- डी.डी.ओ.कोड नं. 821
Div Code 703 मेजर हेड-2700

S.No.	Year	Overflow (In T.M.C.)
1	2	3
23	2006	198.4156
24	2007	46.9184
25	2008	Nil
26	2009	Nil
27	2010	-
28	2011	-
29	2012	54.335
30	2013	84.199
31	2014	2.114
32	2015	45.485
33	2016	66.366
34	2017	13.121
35	2018	-

* Under RTI Act - 2005 के तहत जारी ।

Executive Engineer
Dam Division-I
Mahi Project, Banswara

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाँध खण्ड–प्रथम माही परियोजना, बाँसवाड़ा

क्रमांक : अ.अ./बाँध–।/सू.अ./2020/1274 दिनांक : 16/12/2020

श्री बद्रीदान नरपुरा
पुत्र श्री पाबुदानजी
गाँव–नरपुरा पोस्ट–सरत
जिला–जालौर (राज.)
पिन कोड–343025
(Mob No. 9414544817)

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा (6) (1) के अन्तर्गत सूचना चाहने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक अ.अ./बाँध–।/सू.अ./2020/1538 दिनांक 25–07–2019 द्वारा वर्ष 1984 से 2018 तक माहीडेम की ओवर फ्लो सूचना पूर्व में आपको प्रेषित की जा चुकी है। वर्ष 2018–19 एवं 2020 तक की माहीडेम से ओवर फ्लो की सूचना निम्नानुसार है :–

Year	Overflow (In TMC)
2018	Nil
2019	158.365 TMC
2020	43.127 TMC

अतः सूचनार्थ प्रस्तुत है।

अधिशासी अभियन्ता
बाँध खण्ड–प्रथम
माही परियोजना, बाँसवाड़ा

18

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाँध खण्ड–प्रथम, माही परियोजना, बाँसवाडा

पता– नूतन स्कूल के समीप, उदयपुर रोड़, बाँसवाड़ा, पिनकोड–327001
Phone No.: 02962-243147 E-mail : damdn1mahiprojectbsw@gmail.com

क्रमांक : अ.अ./बाँध–I/माही/तक./2022/3014 दिनांक : 09/12/2022

बद्रीदान नरपुरा
पोस्ट–सरत, जिला–जालौर,
राजस्थान, पिनकोड–343025

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के तहत् सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

प्रसंग :– आपका सूचना हेतु आवेदन पत्र क्रमांक शुन्य दिनांक 09.12.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के तहत् चाही गयी सूचना निम्नानुसार है–

S.No.	Year	Overflow (in TMC)
1.	2021	20.652
2.	2022	20.394

भवदीय

9.12.2022
(प्रकाश चन्द्र रेगर)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अधिशासी अभियन्ता

19

ज्ञा/२९९ ...

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल ससांधन जाखम परियोजना खण्ड धरियावद

Fax No. 02950-270021

E-mail ID- jakhamdivisiondhariyawad@gmail.com

क्रमाक :-- अ.अ. / जापख / .... / 2022–23 / 3210 दिनाक :- 03/02/22

श्री बद्रीदान नरपुरा

S/o श्री पाबुदान जी

गांव नरपुरा पोस्ट सरत

जिला जालोर पिनकोड 343025

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करानें बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गयी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत के बाद किस किस वर्ष में बांध पूर्ण भराव के बाद ऑवर फ्लो की सूचना निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर प्रस्तुत की जा रही है।

सलग्न :– निर्धारित प्रपत्र

(भगवान सिंह करदम)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन जाखम परियोजना
2/2/22 खण्ड धरियावद

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन जाखम परियोजना
यांत्रिक उपखण्ड- 2 अनुपपुरा

Gross storage - 142.02 mcum.

जाखम बांध :—

क्र.सं.	सन्	Discharge due to overflow of main Dam in mcum.	विशेष
1	2011	3035.395 mcum.	
2	2012	2759.915	
3	2013	3601.875	
4	2014	crest level - 359.50 (m.)	
5	2015	984.900	
6	2016	4830.001	
7	2017	1967.345	
8	2018	336.105	
9	2019	6879.220	
10	2020	271.890	
11	2021	crest level (359.50) m.	
12	2022	2369.695	

मानसून के दौरान जाखम बांध से overflow हो कर व्यर्थ जाने वाला पानी।

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन जाखम परियोजना
उपखण्ड द्वितीय
(जिला- प्रताप...)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन सोम कमला आम्बा नहर खण्ड आसपुर

कमांक 3333 दिनांकः- 09/2/2023

श्री बद्रीदान नरपुरा
पुत्र श्री पाबुदान जी
गॉव–नरपुरा पोस्ट–सरत
जिला–जालोर (राज)

विषयः– सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत सुचना चाहने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सोम कमला आम्बा बॉध से वर्ष 2004 से 2022 तक आपके द्वारा ऑवर फ्लो कि सुचना चाही गई थी जो पत्र के साथ सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

सलग्नः– ऑवर फ्लो प्रपत्र ।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन सोम कमला आम्बा
नहर खण्ड आसपुर

Yearwise Overflow Data of Som Kamla Amba Dam

क्र.सं.	वर्ष	Overflow (MCFT)
1	2004	**500.00**
2	2005	**800.00**
3	2006	**120000.00**
4	2007	**1500.00**
5	2008	0.00
6	2009	0.00
7	2010	0.00
8	2011	**27383.00**
9	2012	10023.00
10	2013	5095.00
11	2014	**18608.00**
12	2015	**11798.00**
13	2016	**20454.00**
14	2017	**30347.00**
15	2018	**7233.00**
16	2019	**67478.00**
17	2020	**25708.00**
18	2021	**1013.37**
19	2022	**40500.00**

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन सोम कमला आम्बा
नहर खण्ड, आसपुर

R.P.A.D

૨૫૩૬
જા.નં. એમડી-૧/ /સન ૨૦૧૮
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી
ચણતર પેટા વિભાગ નં. ૧
દિવડા કોલોની, તા-કડાણા
જી.મહીસાગર તા. ૩-૯-૨૦૧૮

પ્રતિ,
શ્રી, બદ્રીનાથ,પી.નરપુરા
ગામ: નરપુરા
પો: સરત
જિ: જાલોર
પિન: ૩૪૩૦૨૫ (રાજેસ્થાન)

વિષય: માહિતી મેળવવા ના અધિકાર અધિનયમ -૨૦૦૫ અન્વયેની માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ અન્વયેની માહીતી સાદર કરવા બાબત.

ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે જણાંવવાનું કે માહિતી અધિકાર અધિનયમ -૨૦૦૫ હેઠળ આપના ધ્વારા કડાણા બંધમાંથી વર્ષ ૧૯૮૪ થી ૨૦૧૮ સુધી વર્ષવાર છોડેલ પાણીની વિગતો માંગેલ હતી જે આ સાથે સામેલ પત્રક માં સાદર કરેલ છે જે જાણ થવા વિનંતિ.

બિડાણ:- ઉપર મુજબની માહિતી નું પત્રક

નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
ચણતર બંધ પેટા વિભાગ નં.૧
દિવડા કોલોની

- નકલ સાદર રવાના પ્રતિ, અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી કડાણા યોજના વર્તુળ લુણાવાડા તરફ જાણ થવા વિનંતિ
- નકલ સાદર રવાના પ્રતિ, કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી કડાણા વિભાગ નં.૧ દિવડા કોલોની તરફ જાણ સારૂ.

Sr.No	Year	Overflow (in.mcft)	Overflow (in.mcm)
1	2	3	4
1	1984	193303	5473.67
2	1985	0.0	0.0
3	1986	120263	3405.43
4	1987	44620	1263.48
5	1988	80455	2278.21
6	1989	32566	922.15
7	1990	299187	8471.95
8	1991	120552	3413.62
9	1992	0.0	0.0
10	1993	81420	2305.53
11	1994	513515	14540.98
12	1995	1438	40.71
13	1996	215875	6112.84
14	1997	153390	4343.48
15	1998	71348	2020.33
16	1999	56686	1605.15
17	2000	0.0	0.0
18	2001	0.0	0.0
19	2002	0.0	0.0
20	2003	35655	1009.62
21	2004	157170	4450.51
22	2005	27577	780.38
23	2006	659523	18675.43
24	2007	198906	5632.33
25	2008	0.0	0.0
26	2009	0.0	0.0
27	2010	0.0	0.0
28	2011	147980	4190.28
29	2012	178297	5048.76
30	2013	246094	6968.54
31	2014	37268	1055.30
32	2015	64446	1824.89
33	2016	211375	5985.41
34	2017	75388	2134.73
35	2018	0.0	0.0

Deputy Executive Engineer
Masonary Sub. Dn. No. 1
Diwada Colony

ચણતર પેટા વિભાગ નં.૧,
દિવડા કોલોની. તા.કડાણા
જી.મહીસાગરપીનકોડ નં.૩૮૯૨૫૦
ફોન નં. : ૨૩૭૬૨૪

નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર,

જા.નં. એમડી.૧/ આ/જા/૨૯૦૧ | સને ૨૦૨૦. તા. ૯/૧૨/ ૨૦૨૦.

પ્રતિ,
શ્રી બદ્રીનાથ પી. નરપુરા,
ગામ. નરપુરા, પો. સુરત,
જી. જાલોર, પીન. ૩૪૩૦૨૫(રાજસ્થાન)

વિષય : માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ અન્વયે માહિતી સાદર કરવા બાબત.

સંદર્ભ:- આપની અરજી તા. ૧૧/૧૧/૨૦૨૦.

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષય સંદર્ભે જણાવવાનું કે અત્રેના વિભાગને ઉપરોક્ત અનુસંધાનીત આપની અરજી તા. ૧૧/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ આપેલ માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ હેઠળ કડાણા બંધમાથી વર્ષ-૨૦૧૮ થી ૨૦૨૦ સુધી વર્ષવાર છોડેલ પાણીની વિગતો માંગવામાં આવેલ હતી જે આ સાથે સામેલ પત્રકમાં સાદર કરવામાં આવે છે. જેની જાણ થવા વિનંતી છે.

બિડાણ :- પત્રક

નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
ચણતર પેટાવિભાગ નં.૧
દિવડા કોલોની

- નકલ સાદર રવાના પ્રતિ, અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી પાનમ યોજના વર્તુળ ગોધરા તરફ જાણ થવા વિનંતી છે આપ સાહેબશ્રીની કચેરીના પત્રકમાંક જા.નં. પાયોવ/ સીબી/ આર.ટી.આઈ/૩૩૯૬ સને ૨૦૨૦ તા. ૨૦/૧૧/૨૦૨૦ અન્વયે અરજદારશ્રી ને જરૂરી માહિતી બારોબાર પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. જે આપ સાહેબશ્રીને જાણ થવા વિનંતી છે.
- નકલ સાદર રવાના પ્રતિ, કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, કડાણા વિભાગ નં.૧, દિવડા કોલોની તરફ જાણ સારૂ.

Statement

Year wise Date of Kadana Dam

Sr.No.	Year	Out flow (mcft)	Out flow (mcm)	Remarks
1	2018	-	-	Not Release
2	2019	395435	11197.36	
3	2020	130504	3695.42	

Deputy Executive Engineer
Masonary Sub Division No.1
Diwada Colony

નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર,

ચણતર પેટા વિભાગ નં.૧
દિવડા કોલોની, તા. કડાણા
જી. મહીસાગર પિન કોડનં. ૩૮૯૨૫૦
ફોન નં. (૦૨૬૭૫) - ૨૩૭૬૨૪
ઇ.મેઇલ:- deekadana123@gmail.com

જા.નં.એમ.ડી.૧/ ૧૫૧૫ સને ૨૦૨૨ તા.૨૪ /૧૧/૨૦૨૨

નમુનો-ગ
(જુઓ નિયમ –(૪)(૧))

પ્રતિ,
શ્રી બદ્રીનાથ પી.નરપુરા
ગામ.નરપુરા,પો.સરત
જી.જાલોર,પીન.૩૪૩૦૨૫ (રાજસ્થાન)
મો.નં. ૯૪૧૪૫૪૪૮૧૭

વિષય :- માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ અન્વયે માહિતી સાદર કરવા બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૨

શ્રીમાન,

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ -૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી આપવા માટેની વિનંતી કરતી તારીખ.૧૮/૧૦/૨૦૨૨ ની આપની અરજી અત્રેની કચેરીને તારીખ.૨૭/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ છે,જે અન્વયે આપશ્રી દ્વારા કડાણા બંધમાથી વર્ષ-૨૦૨૧ થી ૨૦૨૨ સુધી ચોમાસા દરમ્યાન ઓવરફ્લો છોડેલ પાણીની વિગતો માંગવામા આવેલ હતી જે આ સાથે સામેલ પત્રકમાં સાદર કરવામા આવે છે.જેની જાણ થવા વિનંતી છે.

(આર.બી.માલ)
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
ચણતર પેટાવિભાગ નં.૧
દિવડા કોલોની

બિડાણ :- પત્રક

- નકલ સાદર રવાના પ્રતિ. કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી. કડાણા વિભાગ નં ૧ દિવડા કોલોની તરફ જાણ સારૂ

YEAR WISE DATA OF KADANA DAM

NO.	YEAR	OUT FLOW (MCFT)	OUT FLOW (MCM)	REMARKS
1	2021	21278.16	602.52	
2	2022	99876.28	2828.15	

Deputy Executive Engineer
Masonary Sub Division No.1
Diwada Colony

158

the petitioner-Samiti needs no reply from the answering respondents.

7. That the contents of para 7 are denied as averred. It is submitted here that the answering respondents have and will always remain vigilant to redress the grievances of its citizens and appropriate steps have been taken to cater the need of public at large. It is submitted here that problem of water in Jalore district can be addressed if Mahi and Kadana dam surplus water are diverted to draught prone area of Jalore and Barmer district it will supplement the acute water crisis and the public at large shall be benefitted.

8. That the contents of ground 8 are replied to in the terms that the answering respondents have already taken appropriate steps to redress the grievances of the petitioner. The petitioner being well aware about the factual aspect of the matter ought to have impleaded State of Gujarat as a party respondent in the present Writ petition.

सूचना के अधिकार के तहत
प्रमाणित-प्रति

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड-जालोर

REPLY TO GROUNDS

9(A)-(I). That the contents of ground 9(A) to (I) being mere repetition of the facts stated in the preceding paras have been sufficiently and accordingly replied to be the answering respondents in the above paras. At the cost of repetition, it is submitted here that a perusal of

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड-जालोर

जल संसाधन संभाग,जोधपुर। सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना

(17)

विषय:– Submission of feasibility report of Mahi-Luni Intra State Link Project of Rajasthan..

प्रसंग:–आपके कार्यालय पत्रांक:TF-(14)16/ACE/13313 Dated 31.12.2013,

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा वांछित सुझाव/टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तुत है–

Mahi-Luni Intra State Link Project के संबंध में निवेदन है कि जालौर एवं बाड़मेर जिले में व्याप्त पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी की गम्भीर समस्या एवं इस समस्या के निराकरण हेतु माही बांध का सरप्लस पानी जालौर–बाड़मेर जिलों में लाया जाना आवश्यक है, क्यों कि दौनों जिलों की अधिकांश भूमि सरफेस व ग्रउण्ड वाटर पानी की कमी के कारण बंजर पड़ी है। इन जिलों में अधिकांश वर्षो में अकाल की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जालौर व बाड़मेर जिलों की जनता में काफी आक्रोश है। जिले के कास्तकार/किसान संघों द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिये जाते है तथा धरना व आन्दोलन किये जाते है।

सिंचाई (जल संसाधन) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमाक:एफ. 15(1)(75)सिंचाई/83 दिनांक 16.11.1984 के द्वारा एक वृत का सृजन किया गया तथा माही बैसीन के Entire Surplus Water द्वारा बाड़मेर जिले में डाईवर्ट करने के लिए Gravity Flow की 259 कि.मी. Tunnel को जालौर–बाड़मेर जिलों में पानी पहुचाने के लिए परियोजना के प्रस्ताव तेयार किये गये, जिससे जालौर–बाड़मेर जिलों की 5.94 लाख एकड़ कृषि भूमि में Pernnial Irrigation in Culturable Command Area संभव हो पायेगी एवं 7.11 लाख एकड़ भूमि में Lift Irrigation से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी व जिले में कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त 21.06 MW. Hydel Power Plant at 90% Dependebility पर तैयार किये जायेगा, जिससे बिजली उत्पादन होगी ।

प्रासंगिक पत्र द्वारा Pre-Feasibility Report के अनुसार लाभ लागत अनुपात (बी.सी.रेश्यों) 1:029 आ रहा है। जब कि नोर्मस के अनुसार 1:1 बी.सी.रेश्यों होना चाहिए। इस संबंध में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में लाभ लागत अनुपात (बी. सी.रेश्यों) की अनिवार्यता समाप्त की जानी आवश्यक है, क्यों कि मानव व पशु पक्षियों के लिए जल सर्वोपरी है, यदि जल है तो कल है ।

जालौर जिले की मुख्य नदी जवाई नदी है। जवाई नदी पर जवाई बांध पाली जिले में बना हुआ है, जिस कारण जवाई नदी सूख गई है क्यों कि जवाई बांध

अति. मुख्य अभि. जल संसाधन संभाग, जोधपुर
क्रमांक 1457
अति. मुख्य अभि.
अधीक्षण अभि. /मु.से.अ.
अधि. अभि. Doonger singh
सहा.अ.
लेखा/स्थापन/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/
चतुर्थ/ व. निजि. सहायक/वादकरण/
निजि सहायक/ स्टोर/ रोकड़

P.C.A
3-5

सहायक अभियन्ता (प्र.)
कार्या. अति [illegible] अभियन्ता
जल संसाधन [illegible] जोधपुर

सूचना का अधिकार
2005 के तहत प्रदत्त

RIGHT TO
INFORMATION

15–20 वर्षो में एक बार ही आंशिक ओवरफ्लो होता है, जिस कारण जवाई नदी सूख गई है। नदी किनारे कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है एवं अधिकांश कुऐं सूख गये है। जालौर जिले की अन्य नदियां सागी,जैतपुरा,बडगांव इत्यादि सूख गई है। जल स्तर अत्यधिक नीचे जाने के फलस्वरूप कैन्द्रिय भूजल प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण जालौर जिले को डार्क जोन घोषित किया गया है। अभी उपलब्ध जल में अधिक मात्रा में फ्लोराईड है, जिससे जिले की अधिकांश जनता हड्डियों की व अन्य बिमारियों से ग्रसित है। पानी गम्भीर कमी के कारण पानी हेतु पानी 5–6 दिनों में एक बार मात्र एक घाण्टे ही दिया जा पाता है साथ ही कुऐं सूखने के कारण कृषक आजिवीका निर्वहन हेतु पड़ौसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में पलायन करने को मजबूर हो रहे है।

अतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता की राय में जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त परियोजना की कियान्विति एवं डी.पी.आर. तैयार करने हेतु एक वृत कार्यालय का सृजन किया जावे, जो शीघ्र परियोजना की डी.पी.आर. तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकें एवं माही का पानी जालौर व बाड़मेर जिलों में आने से पेयजल की समस्या दूर हो सकें एवं अन्न उत्पादन से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकें।

वास्ते सूचनार्थ प्रस्तुत है।

भवदीय

19.2.14

अधीक्षण अभियन्ता,
जल संसाधन वृत, जोधपुर

P.C.A.

सहायक अभियन्ता (प्रशा.)
कार्या. अति मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, जोधपुर

कार्यालय राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
इन्दिरा गांधी नहर मण्डल भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।

क्रमांकः–प.3898/मुअजसं/आरं.टी.आई/एम–।।/2023/24 दिनांकः– 11/01/2023

श्री बद्रीदान नरपुरा,
गांव–नरपुरा, पोस्ट–सरत,
जिला जालौर, पिन–343025

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।
संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2023 (ऑनलाइन क्रमांक 201984273431468 दिनांक 06.01.2023)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पत्र में आप द्वारा वांछित सूचना के क्रम में निर्देशानुसार इस कार्यालय में संधारित सूचना कुल पृष्ठ सं. 01 संलग्न कर प्रेषित है।

यदि आप राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त सूचना/विनिश्चय से व्यथित हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत उक्त सूचना की प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है:–

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,
इंदिरा गांधी नहर मण्डल (भवन),
भवानी सिंह मार्ग, जयपुर ,राजस्थान।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी
अधिशाषी अभियंता (एम–।।)
कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल के पास, इंदिरा गांधी नहर मण्डल (भवन), सी–स्कीम, राजस्थान, जयपुर। पिनकोड -302005
Email- acehqitwrdjaipur@gmail.com website:-water.rajasthan.gov.in contact:- 0141-5166793

Shikhar Agarwal
IAS

सत्यमेव जयते

Principal Secretary
Water Resources, Indira Gandhi Nahar,
State Water Resources Planning and
Command Area Development Department
Government of Rajasthan

D.O. No.: CE/WR/NCF/D-1/M-1/2287
Jaipur dated : 26.12.2022

Dear Shri Patel,

Please refer to the Agreement dated 10th January, 1966 between Rajasthan and Gujarat for utilisation of waters of Mahi basin. The spirit of the Agreement is that when development of Narmada takes place and the areas previously served by Mahi water in Gujarat would be switched to Narmada water and Mahi waters shall be released for use in Rajasthan.

Since Narmada Project has become functional and areas previously fed by Mahi waters are now being Narmada system. Relevant minutes of 33rd meeting of Narmada Main Canal Sub Committee of Narmada Control Authority held on 4.10.2017 also state that, accepted that *"Command Area Development has been completed in Mahi command of Narmada"*.

Accordingly, water allocated to Gujarat at Mahi Bajaj Sagar Dam and a part of water at Kadana Dam needs to be made available for utilisation in Rajasthan as per spirit of the Agreement.

I would, therefore, request you to kindly intimate a suitable date for meeting regarding this issue.

with regards

Yours sincerely,

26/12

(Shikhar Agrawal)

Shri K.A. Patel
Secretary,
Narmada, Water Resources,
Water Supply and Kalpsar Department,
9th Block, 2nd Floor, Sachivalay,
Gandhinagar, Gujarat.

सूचना के अधिकार के तहत प्रमाणित छायाप्रति
29-01-2023
सहायक अभियन्ता, जल संसाधन
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राजस्थान, जयपुर

Room No. 4224, Main Building, Secretariat, Jaipur - 302005
Phone:+91-141-2227142, E-mail: shikhar.agrawal@nic.in

रजि. नं. : COOP/2019/JALORE/101089 दिनांक : 10-06-2019

राजस्थान किसान संघर्ष समिति, जालोर-बाड़मेर

गैर राजनीतिक संगठन

पंजीकृत कार्यालय : श्री करणी धाम पंचदेवल, नरपुरा (जालोर)
ब्रांच ऑफिस : बालोतरा रोड़ - सिवाना, गौर का चौक - समदड़ी (बाड़मेर)

-: पदाधिकारी :-

विक्रमसिंह पुनासा
प्रदेश संयोजक
मो. 9414375189

बद्रीदान नरपुरा
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 9414544817

केशरसिंह राठौड़
प्रदेश उपाध्यक्ष
मो. 9649933554

सुनील राजपुरोहित
प्रदेश उपाध्यक्ष
मो. 9448787187

शिवनाथसिंह राजपुरोहित
प्रदेश उपाध्यक्ष
मो. 9982608401

गिमरसिंह सूर्यवंशी
प्रदेश सचिव
मो. 9636170895

सुरेश कुमार व्यास
प्रदेश कोषाध्यक्ष
मो. 9166660883

शम्भूदान आशिया
विधि सलाहकार
मो. 9460716175

क्रमांक : 133 दिनांक 5/3/23

सेवामें,

माननीय अशोक जी गहलोत साहब,
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :- माही बेसिन में बेणेश्वर धाम डाउनस्टीम से कडाना के मध्य राजस्थान सीमा में उपयुक्त स्थान पर वर्षा जल को संग्रहित कर खंभात की खाडी मे व्यर्थ बहने को रोककर (औसत मात्रा 125 टीएमसी प्रतिवर्ष) जालोर बाडमेर के साथ-साथ सम्पूर्ण मारवाड को पेजयल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत्।

सन्दर्भ :-

(1) मुख्यमंत्री बजट घोषणा क्रमांक 173 (X)
(2) जनहित याचिका संख्या 3637/2021 के परिपेक्ष में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिये गये निर्देशों दिनांक 18 नवम्बर 2022 की अनुपालना ।
(3) राजस्थान सरकार जल संसाधन के पत्रांक F4 (33) ए.एस.आई. 2021 (66) दिनांक 10 जनवरी 2023

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक निर्देशों की पालना में निवेदन है कि जालोर एवं बाडमेर जिलों के साथ-साथ सम्पूर्ण मारवाड सुखाग्रस्त होकर जल स्तर प्रतिवर्ष नीचे जा रहा हैं। भूजल परिदृश्य बद से बदतर होने के कारण मारवाड़ के लोग दक्षिण की ओर पलायन कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2022 को दिये गये दिशा निर्देशों की पालना में एक कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अनुसार किया गया है।

लगातार-02 पर

निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के किसानों का हित सर्वोपरि मानते हुए एवं मारवाड के चहुंमुखी विकास को मद्देनजर रखते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी जिसमें जनप्रतिनिधि गण, संबंधित अधिकारीगण एवं उपरोक्त विषय के अनुभवी सेवानिवृत जल संसाधन के अधिकारियों को सम्मिलित कर कमेटी का पुनर्गठन किया जाना उचित रहेगा। ताकि कडाणा बांध से माही बेसिन का औसतन 125 टीएमसी वर्षा जल जो कि खंभात की खाडी में बहकर व्यर्थ हो जाता हैं, का सुचारू उपयोग मारवाड की प्यासी भूमि को हरा–भरा एवं उपजाउ करने में उपयोगी साबित हो सके उल्लेखनीय है कि खंभात की खाडी में बहकर व्यर्थ होने वाले वर्षा जल की मात्रा 125 टीएमसी को डाउनस्ट्रीम में उपयुक्त स्थान पर राजस्थान की सीमा में संग्रहित एवं डायवर्ट करना मारवाड के विकास में उपयोगी साबित होगा। वर्षा जल को संग्रहित कर सुखाग्रस्त जालोर एवं बाडमेर में पेयजल एवं सिंचाई हेतु डायवर्ट किया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त पचपदरा रिफाइनरी को भी सम्पूर्ण रूप से फायदा होगा। अधिशेष वर्षा जल की उपलब्धता एक महती आवश्यकता हैं माही बेसिन का अधिशेष जल जो कि खंभात की खाडी में बहकर व्यर्थ हो जाता है को डाइवर्ट करना सम्पूर्ण मारवाड के लिये एक वरदान साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बजट घोषणा 2023 में इस प्रयोजनार्थ घोषणा आपके भागीरथी संकल्प का ध्योतक है। मारवाड की प्यासी भूमि प्रत्येक किसान एवं उतरोतर पीढियां आपको एक बेहद प्रगति उन्मुख मुख्यमंत्री के रूप में स्मृति पटल पर रखकर सदा आपका आभार एवं धन्यवाद करती रहेगी।

अत : सादर निवेदन है कि उपरोक्त बाबत् एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर एक एक्सपर्ट कंसलटेसी एजेन्सी द्वारा सर्वे डिजाइन एवं डीपीआर तैयार करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान करने का श्रम करे ताकि बहुप्रतीक्षित पश्चिमी राजस्थान केनाल परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन उपरान्त सम्पूर्ण मारवाड की कायाकल्प होकर किसानों का आर्थिक स्तर सुधरने पर दक्षिण भारत में पलायन प्रवृति पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

सादर आभार।

प्रदेश उपाध्यक्ष
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

प्रदेश उपाध्यक्ष
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

5/3/23
प्रदेशाध्यक्ष
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

विक्रमसिंह पुनासा
प्रदेश संयोजक
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

प्रदेश सचिव
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

2/3/2023
प्रदेश कोषाध्यक्ष
राजस्थान किसान संघर्ष समिति
जालोर-बाड़मेर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जालोर

कमांक/स्था/2022–23/6533 दिनांक: 28-3-2023

श्री बद्रीदान नरपुरा पुत्र श्री पाबुदानजी
गांव–नरपुरा पोस्ट–सरत
जिला–जालोर (राज.)
पिनकोड–343025

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

———

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत आप द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्नः– प्रपत्र 3 पत्र

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड जालोर

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, WATER RESOURCES ZONE, JODHPUR
Lal Sagar, Kishore Bagh, Jodhpur-342007
Tel: 0291- 2570681 , E-mail: cejdr.wr@rajasthan.gov.in / cejdr.wr@gmail.com

No./ TF(14)259(A)/Jodhpur/ 5138 Date :- 9-3-23

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत्त जोधपुर
क्रम संख्या 1075
दिनांक 10/3/23
स्थापन्न का.
अधीक्षक निर्माण/ योजना/ ओपर/का.प्र.
10/03/23
का.अ अ.अ. एवं या महा. अधीक्षण अभियन्ता

Chief Engineer,
Water Resources Department
Rajasthan, Jaipur

Subject: -Preparation of Feasibility Report for "माही नदी को लूनी नदी से जोडने के साथ माही बांध एवं नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवाकर पश्चिमी राजस्थान कनोल परियोजना की डी.पी.आर बनायी जायेगी" as proposed under the Budget Announcement by Hon'ble CM FY 2023-24"

Ref.:- Superintending Engineer water Resources Circle letter no. 1567 dated 21.02.2023

Sir,

With reference to above cited subject and the letter, it is requested that preparing pre feasibility report for work announced in budget speech by Hon'ble CM for year 2023-24 at point no 173(X) "माही नदी को लूनी नदी से जोडने के साथ माही बांध एवं नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवाकर पश्चिमी राजस्थान केनाल परियोजना की डी.पी.आर बनायी जायेगी". to ensure availability of water for irrigation purpose.

In compliance of the budget announcement before preparing DPR feasibility report is to be prepared for the project.

The feasibility report should mainly contain following aspects:

i. Assessment of surplus water availability at Mahi River
ii. Assessment of tentative crop water requirement and likely CCA that can be irrigated with available water and any other use as decided by GoR
iii. Identification of command area in Barmer/Luni basin
iv. Alternative routes to transfer water from Mahi River to proposed command area at Jalore district, and recommendation for final proposed route
v. Drone survey of final recommended route for transfer of water, identification of length of tunnels, open channels, cross drainage works etc. and Drone/DGPS survey for proposed command area for tentative layout of canal network
vi. Tentative sizes of major structures after carrying out hydraulics and other necessary calculations
vii. Broad cost estimates for each component of work
viii. Tentative benefit cost ratio and recommendation whether the project is feasible.
ix. Socio Economic aspects

सूचना के अधिकार के तहत
प्रमाणित-प्रति
सहायक अभियन्ता एवं प्रावैधिक सहायक
वास्ते- अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, जालोर

D:\Technical\English.docx

x. Environmental Aspects

The time limit for preparation of feasibility report can be 3 months from the date of Agreement.

Broad Milestones for Feasibility Report are suggested as follows:

1. Inception Report - 15 days
2. Prefeasibility Report - 45 days
3. Draft Feasibility Report - 75 days
4. Final Feasibility Report - 90 days

We may propose PD Core/WAPCOS, as they are govt under taking agencies.

Submitted for further necessary action please.

Your Faithfully

(Amar Singh)
Chief Engineer
Water Resources Zone, Jodhpur

No./ TF(14)259(A)/Jodhpur/ 5139 Date :- 9.3.23

Copy forward to Superintending Engineer, Water Resources Circle Jodhpur

Chief Engineer

OFFICE THE SUPERINTENDING ENGINEER WATER RESOURCE CIRCLE JODPHUR
No T.F /2023/ 1890 **Date:** 10/3/23

Copy Forwarded to Executive Engineer, Water Resources Division Jalore for information and necessary action.

सूचना के अधिकार के तहत
प्रमाणित-प्रति

सहायक अभियन्ता एवं प्राविधिक सहायक
वास्ते- अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, जालोर

अधिशाषी अभियन्ता
वा. स. कृते अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत, जोधपुर

राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण

सिंचाई भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्रमांक : F-167/RRBA/WRCP/2023-00047/00033/2023 दिनांक : 22.03.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु संख्या 173(x) द्वारा माही नदी को लूनी नदी से जोड़ने के साथ माही बांध एवं नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवाकर पश्चिमी राजस्थान कैनाल परियोजना की डी.पी.आर. बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु गठित संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए :–

1. मुख्य अभियंता, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर

बैठक में हुई चर्चानुसार निम्न सदस्यों की एक उपसमिति का गठन किया जाता है :–

1. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, जोधपुर
2. अधीक्षण अभियंता, निर्माण वृत, माही परियोजना, बांसवाड़ा
3. अधीक्षण अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना वृत–प्रथम, सांचौर
4. अधीक्षण अभियंता (कार्य), जल संसाधन संभाग, जोधपुर
5. अधीक्षण अभियंता (कार्य), जल संसाधन संभाग, उदयपुर
6. अधीक्षण अभियंता–द्वितीय, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर
7. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, जालौर
8. अधिशाषी अभियंता, बांध खण्ड–प्रथम, माही परियोजना, बांसवाड़ा

उक्त उपसमिति, संयुक्त समिति के निर्देशानुसार उपरोक्त बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु निम्न बिन्दुओं के संबंध में प्रारम्भिक अध्ययन एवं डाटा संग्रहण संबंधी कार्य करेगी :–

1. Assessment of surplus water/yield in Mahi river/ basin for last 30 years
2. To identify the terminal point of Mahi river/ basin in Rajasthan state
3. Alternative routes regarding alignment of Carrier System to transfer water from Mahi River to Luni river for proposed command area at Jalore district
4. Field levels at different important locations
5. GT Sheet/ Google Map of Mahi and Luni basins
6. New interventions, if any

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(भुवन भास्कर)
मुख्य अभियंता
राजस्थान रिवर बेसिन एवं
जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : F-167/RRBA/WRCP/2023-00047/00033/2023 दिनांक : 22.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर
4. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, जोधपुर
5. अधीक्षण अभियंता, निर्माण वृत, माही परियोजना, बांसवाड़ा
6. अधीक्षण अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना वृत–प्रथम, सांचौर
7. अधीक्षण अभियंता (कार्य), जल संसाधन संभाग, जोधपुर
8. अधीक्षण अभियंता (कार्य), जल संसाधन संभाग, उदयपुर
9. अधीक्षण अभियंता–द्वितीय, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर
10. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, जालौर
11. अधिशाषी अभियंता, बांध खण्ड–प्रथम, माही परियोजना, बांसवाड़ा

सूचना के अधिकार के तहत
प्रमाणित-प्रति

सहायक अभियन्ता एवं प्रावैधिक सहायक
वास्ते- अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, जालोर

Signature valid
मुख्य अभियंता
Digitally signed by Bhuvan Bhasker
Designation: Chief Engineer
Date: 2023.03.27 17:41:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3461732

कार्यालय अधि. अभि. जल संसाधन खण्ड-जालोर
क्रमांक- 3289 दिनांक 27-3-2023
तर्क/लेखा/स्थापन/विधि/स्टोर/खजांची

तकनिकी सहा.

अधि. अभि.
27/3/23

जालोर पत्रिका 18 जनवरी 2021

किसान संघर्ष समिति की बैठक आयोजित

मोदरा. निकटवर्ती नरपुरा स्थित करणी धाम पंच देवल प्रांगण में राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर की बैठक विक्रमसिंह पूनासा के मुख्य आतिथ्य व बद्रीदान नरपुरा की अध्यक्षता में रविवार को हुई। जिसमें जालोर व बाड़मेर क्षेत्र में माही परियोजना लागू करवाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जालोर व बाड़मेर के किसानों ने माही परियोजना को लागू करवाने को लेकर कार्यवाही करने व समिति को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। इस मौके समिति पदाधिकारी सुरेश व्यास, गेमरसिंह सूर्यवंशी, भगवानाराम बिश्नोई, मोड़ाराम, हरिराम, शिवनाथसिंह, हुकमसिंह, केशरसिंह सिवाणा व रामसिंह समेत कई किसान मौजूद थे।

दैनिक भास्कर मारवाड़ गोडवाड़ 21 मार्च 2021

जोधपुर : माही नदी में राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं देने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान किसान संघर्ष समिति की ओर से दायर की गई है याचिका

जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने जालोर तथा बाड़मेर जिलों में पेयजल व सिंचाई के लिए गुजरात राज्य से अपने हिस्से का पानी मांगने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर राज्य सरकार व केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता राजस्थान किसान संघर्ष समिति की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर और अंकुर माथुर ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि माही नदी मध्यप्रदेश से प्रतापगढ़ होते हुए बांसवाड़ा में आती है और यहीं से वो गुजरात में प्रवेश करती है। इस नदी के पानी के उपयोग को लेकर 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार यह तय हुआ था कि गुजरात को माही बांध से 40 टीएमसी पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके बदले में गुजरात सरकार द्वारा बांध निर्माण में वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पानी गुजरात के खेड़ा जिले में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाना था। समझौते के अनुसार जब खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी आ जाएगा, तब राज्य सरकार गुजरात की ओर से वहन किए गए खर्च को वापस कर देगी और यह पानी राजस्थान में ही उपयोग के लिए रहेगा। कोर्ट को बताया कि इसी तरह कडाणा बांध में भी राजस्थान के साथ इकरार हुआ था, जिसमें पुरा पानी राजस्थान से ही जाता है। खेड़ा जिले में नर्मदा के पानी से सिंचाई शुरू हो चुकी है। गुजरात सरकार ने कडाणा से, सुजलम सुफलम नहरें बनाते हुए सिंचाई सुविधा का विस्तार कर दिया है। जबकि सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले पानी पर राजस्थान का हक है, लेकिन राज्य सरकार अपने अधिकारों को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठा रही।

जालोर पत्रिका 7 जुलाई 2021

माही प्रोजेक्ट का मामला खटाई में...

5 दशक पूर्व जल संकट को भांप लिया था हमारे पूर्वजों ने, हम भूले तो गुजरात ने मार लिया हक

माही परियोजना | माही प्रोजेक्ट की अहमियत को इस तरह से समझा जा सकता है कि इससे जालोर ही नहीं, बाड़मेर जिला भी हो सकता है चमन

एक्सक्लूसिव

खुशालसिंह भाटी
patrika.com

जालोर. राजनीतिक इच्छा शक्ति और ढिलाई का असर इस कदर हावी है कि जल संकट से जूझ रहे जालोर जिलेवासियों के लिए माही परियोजना से जुड़ा जो प्रोजेक्ट 5 दशक पूर्व हमारे पूर्वजों की पहल में चर्चा में आया था। वह आज ठंडे बस्ते हैं। यह मामला कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जालोर डार्क जोन में है और भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। जवाई कमांड क्षेत्र को अपर्याप्त पानी मिल रहा है और जवाई नदी में अनियमित रूप से अतिवृष्टि के दौरान ही पानी को छोड़ा जाता है। इस स्थिति में जवाई नदी के किनारों पर बसे कृषि कूएं बेनूर हो चुके हैं और सूख चुके हैं। भविष्य में संभावित विकट हालातों को देखते हुए ही 1966 में माही परियोजना का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चर्चा में आया, लेकिन यह प्रोजेक्ट 55 साल बाद भी कागजों में रेंग रहा है। जबकि इस प्रोजेक्ट के तहत कडाणा से हाई लेवल केनाल का निर्माण किया जाना था, और उसका 28 टीएमसी

फैक्ट फाइल

- 1966 का प्रोजेक्ट
- 32 लाख बीघा जमीन होनी थी सिंचित
- 100 फीट चौड़ी हाई लेवल केनाल कडाना से बनाई जानी थी
- 50 फीट गहरी केनाल कडाना से बनाई जानी थी

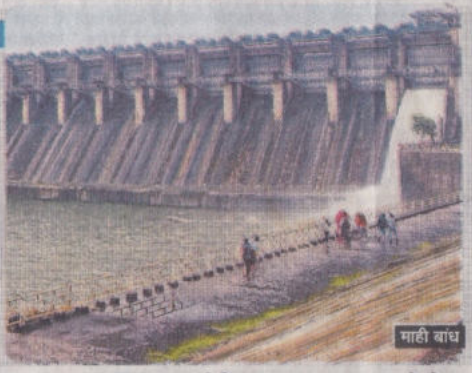

माही बांध

संघर्ष समिति जागी... लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि नहीं

पांच दशक के बाद भी न तो राज्य सरकार न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीर है। इन हालातों में राजस्थान किसान संघर्ष समिति ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 1966 के समझौते को लागू करवाने की मांग की है। याचिका में बताया गया है कि माही नदी मध्यप्रदेश से प्रतापगढ़ होते हुए बांसवाड़ा में आती है और यहीं से गुजरात में प्रवेश करती है। इस नदी के पानी के उपयोग को लेकर 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार यह तय हुआ था कि गुजरात को माही बांध से 40 टीएमसी पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके बदले में गुजरात सरकार द्वारा बांध निर्माण में वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पानी गुजरात के खेड़ा जिले में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाना था। समझौते के अनुसार जब खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी आ जाएगा, तब राज्य सरकार गुजरात की ओर से वहन किए गए खर्च को वापस देगी और यह पानी राजस्थान में ही उपयोग के लिए रहेगा। इसी तरह कडाणा बांध में भी राजस्थान के साथ इकरार हुआ था। अब खेड़ा जिले में नर्मदा से पानी मिल रहा है। उसके बावजूद कडाणा से सुजलम सुफलाम नहरें बनाते हुए सिंचाई का विस्तार कर दिया है। जबकि अब इस पानी पर सिरोही, बाड़मेर जालोर का 2 तिहाई हक है।

ये था प्रोजेक्ट

भाकिसं. संभाग नेता रतनसिंह कानीवाड़ा बताते हैं कि समझौते के अनुसार 32 लाख बीघा क्षेत्र सिंचित होना था। खोसला कमेटी ने प्रोजेक्ट के तहत 100 फीट चौड़ी और 50 फीट गहरी केनाल बनाने का सुझाव दिया था और कडाणा से जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, भीनमाल, जालोर, सायला होते हुए बाड़मेर तक पानी पहुंचना था।

राजनीतिक झुनझुना थमा रहे नेता

यह प्रोजेक्ट 1966 से चर्चा में आया, लेकिन इसमें किसी तरह का काम आज तक नहीं हो पाया है। किसानों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर जालोर में पड़ाव डाला था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सर्वे की बात कहते हुए प्रोजेक्ट की क्रियान्विति की बात कही थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ मामला अटक गया। इस संबंध में एक पांच सदस्यीय टीम 2017 में गठित की गई थी, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में है।

नर्मदा परियोजना से डेढ़ गुना अधिक पानी

यह प्रोजेक्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण है और नर्मदा परियोजना की मुख्य केनाल में फिलहाल आवक से डेढ़ गुना तक ज्यादा पानी इसमें मिल सकता है। प्रोजेक्ट के तहत 28 टीएमसी जालोर-बाड़मेर जिले को मिलना है। सूचना के अधिकार मिली जानकारी के अनुसार एफआर, डीआर और ईआर प्रोजेक्ट से कुल 697 गांवों को पानी मिलना था, लेकिन

इनका कहना

महत्वपूर्ण मसले पर रीट दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने मार्च माह में 4 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। लेकिन उसके बाद मामला कोरोना के चलते अटक गया। यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें सामूहिक पहल के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।

कडाणा बांध के पानी पर जालोर-बाड़मेर जिले का हक निर्धारण करने के लिए जल शक्ति मंत्री से वार्ता करेंगे। पुराने प्रोजेक्ट और समझौते के बारे में जानकारी मिली है, जिसके आधार पर गुजरात की सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट से जालोर को लाभान्वित करने के लिए रणनीति तय की जाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट क्रियान्वित के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

जालोर पत्रिका 8 जुलाई 2021

जालोर के हक के पानी से गुजरात में हो रही सिंचाई...

हाई लेवल केनाल से पानी पहुंचना था जालोर-बाड़मेर, गुजरात ने 320 किमी बना दी सुजलाम-सुफलाम नहरें

पत्रिका बिग इश्यू

बांध निर्माण से पहले खोसला कमेटी ने दिया था सुझाव, जिसके आधार पर ही हुआ था गुजरात राजस्थान में इकरार, लेकिन अब 30 से अधिक मीटिंग के बाद भी राजस्थान के हक के पानी पर गुजरात की कुंडली

खुशालसिंह भाटी
patrika.com

जालोर @ पत्रिका. सूखे से ग्रसित पश्चिमी राजस्थान के जालोर-बाड़मेर जिले के लिए कडाणा बांध के निर्माण से पहले ही गठित खोसला कमेटी ने हाईलेवल केनाल निर्माण का सुझाव दिया था और इस पर राजस्थान और गुजरात राज्य की सहमति के बाद ही माही परियोजना के पानी पर आधारित कडाणा बांध का निर्माण हो पाया था। इस बांध का निर्माण 1979 में पूरा हो गया और उसके बाद गुजरात के खेड़ा राज्य को 2006 में नर्मदा परियोजना का पानी मिलने के बाद यह पूरा क्षेत्र सिंचित भी हो गया।

इकरार और शर्तों के अनुसार गुजरात राज्य को कडाणा बांध के कुल 87 टीएमसी पानी में से 28 टीएमसी पानी हाई लेवल केनाल से राजस्थान राज्य के लिए जालोर, सिरोही और बाड़मेर के लिए केनाल से देने पर सहमति जारी करनी थी। लेकिन 15 वर्ष से अधिक अतिरिक्त समय गुजर जाने के बाद भी गुजरात ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि राजस्थान के पानी से स्वयं के हिस्सों को सिंचित कर रहा है, जो नियम शर्तों का उल्लंघन भी है। इस मनमर्जी पर सरकारी स्तर के साथ साथ बड़े स्तर पर राजनीतिक प्रयास करने की

इसलिए कडाणा बांध के पानी पर हमारा हक

कडाणा बांध तक पानी माही परियोजना से ही पहुंच रहा है और 1966 के समझौता राजस्थान को कानूनी अधिकार भी इस पानी को प्राप्ति का देता है। जब खोसला कमेटी बनी तो पहले स्तर पर बांध निर्माण से पहले ही विरोधाभास की स्थिति बनी। सर्वे में यह सामने आया था कि इस प्रोजेक्ट से राजस्थान क्षेत्र के 132 गांव कैचमेंट एरिया से प्रभावित होंगे और गुजरात के मात्र 53 गांव इससे प्रभावित होंगे। इसलिए भविष्य में कडाणा बांध के पानी में से दो तिहाई पानी राजस्थान और 1 तिहाई पानी गुजरात के हिस्से में रहेगा, लेकिन लापरवाही के चलते ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया।

फैक्ट फाइल

- **1979** में पूरा हुआ कडाणा बांध निर्माण कार्य
- **2006** को खेड़ा जिले को मिला नर्मदा का पानी
- **87** टीएमसी पानी है कडाणा बांध में
- **28** टीएमसी पानी जालोर-बाड़मेर के हिस्से का
- **337** किमी हाई लेवल केनाल बननी थी राजस्थान में
- **320** किमी केनाल गुजरात ने बना दी अपने क्षेत्र में
- **15** किमी दूरी पर ही है यह राजस्थान से

एक्सपर्ट व्यू

गुजरात राज्य ने चूंकि सुजलाम सुफलाम केनाल का निर्माण कर लिया है। जो राजस्थान की सीमा से कुछ ही दूरी पर है। सरकार प्रयास करने के साथ सकारात्मक पहल करते हुए इसी केनाल से राजस्थान में पानी लाने के लिए कवायद शुरु कर दे तो भविष्य में जल संकट की स्थिति समाप्त हो जाएगी और पानी की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी।
- एसएल परमार, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन

पत्राचार में झूठे तथ्य डालकर हकीकत को छिपाया

1979 को कडाणा बांध बनने के बाद से पानी प्राप्ति के लिए प्रयास शुरु कर दिए गए थे। इस कड़ी में 2007 के बाद प्रयास अधिक हुए। 33 से अधिक मीटिंग गुजरात राज्य के साथ इस मामले में हो चुके है। 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने समस्या के निस्तारण के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया। जिसके बाद गुजरात राज्य से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन इस मामले में 2016 को गुजरात के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री की ओर से गलत और भ्रामक पत्र जारी कर बताया कि खेड़ा जिला नर्मदा परियोजना से सिंचित ही नहीं हुआ। इसी कड़ी में राजसीन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल ने गुजरात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमके जाधव को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा। लेकिन गुजरात से कोई जवाब ही नहीं मिला।

2017 में पकड़ा गया झूठ, खेड़ा जिला है सिंचित

2016 को गुजरात के जल संसाधन मंत्री ने जवाबी पत्र में जो झूठे तर्क पेश कर खेड़ा जिले के नर्मदा परियोजना से सिंचित होने से इनकार किया गया था, उसकी हकीकत में 33वीं बैठक में सामने आ गई। एक्सपर्ट कमेटी ने विभिन्न तथ्य पेश किए, जिसके आधार पर 4 अक्टूबर 2017 को यह स्पष्ट हो गया कि खेड़ा जिला नर्मदा परियोजना से सिंचित हो चुका है। सीधे तौर पर यह बड़ा तथ्य था, जिसे गुजरात को मानना पड़ा, क्योंकि खेड़ा को नर्मदा से सिंचित होने पर ही पश्चिमी राजस्थान का कडाणा बांध पर हक बनता है।

मात्र 15 किमी की दूरी पर केनाल

नियम शर्तों का उल्लंघन कर बनाई गई केनाल राजस्थान की सीमा से मात्र 15 किमी की दूरी पर ही है। एक्सपर्ट कमेटी ने जो सुझाव सुझाव है, उसके अनुसार यह हाई लेवल केनाल ही है। यदि राजस्थान सरकार बड़े स्तर पर पहल करते हुए इकरार के अनुसार कडाणा से पानी की मांग करे तो इसी केनाल से राजस्थान के लिए भी एक केनाल का निर्माण हो सकता है, जिससे बड़ा हिस्सा भविष्य में लाभान्वित हो सकेगा।

कमेटी का महत्वपूर्ण सुझाव

सभी तथ्यों और तर्कों के बीच एक्सपर्ट मेंबर डब्ल्यूआरआई, आरआईबी, डब्ल्यूआरपीए दीपक कुमार ने सरकार को जो सुझाव दिए वे महत्वपूर्ण है और सीधे तौर पर सिरोही, जालोर, बाड़मेर के लिए फायदेमंद है। उन्होंने 15 मार्च 2018 को पेश की रिपोर्ट में बताया कि चूंकि गुजरात राज्य में सुजलाम सुफलाम केनाल बना दी गई है और माही परियोजना के पानी से ही सिंचाई की जा रही है। तो इस परियोजन से राजस्थान को जोड़कर लाभान्वित किया जा सकता है। इस केनाल की राजस्थान से दूरी मात्र 15 किमी है और ये हाई लेवल केनाल है, तो इससे राजस्थान को भी जोड़ा जा सकता है।

मुख्य सचिव तक ने पत्र लिखे

गुजरात राज्य की हठधर्मिता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस समस्या के निदान के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव राजस्थान सरकार डीबी गुप्ता ने 18 नवंबर 2019 को गुजरात के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, लेकिन वहां से भी जवाब नहीं मिला।

खेत से पत्रिका न्यूज नेटवर्क

दर्ज करवाया है। पुलिस निरीक्षक दुलीचंद गई है। रणवीरसिंह व उसके आदमी

जालोर पत्रिका 9 जुलाई 2021

कडाणा से मिले हमारा हक तो 32 लाख बीघा क्षेत्र होगा सिंचित, नर्मदा से हो रहा मात्र 15 लाख

माही प्रोजेक्ट | सूखाग्रस्त क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, समय पर पहल हो तो भविष्य के लिए बहुआयामी और महत्वपूर्ण साबित होगा प्रोजेक्ट

एक्सक्लूसिव

फैक्ट फाइल

87 टीएमसी से 50 लाख बीघा से अधिक क्षेत्र को किया जा रहा सिंचित

लगातार

1984 में जागे थे नेता... लेकिन उसके बाद नहीं हुई कोई कोशिश

गुजरात को पानी बंद करने पर बनी थी सहमति

जालोर पत्रिका 10 जुलाई 2021

37 साल में 27 बार ओवरफ्लो हुआ कडाणा व्यर्थ में बह गया 1.30 लाख एमसीएम पानी

माही प्रोजेक्ट | सीधे तौर पर बांध का निर्माण राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए है तो व्यर्थ बहे पानी से भी राजस्थान को ही नुकसान

पत्रिका में प्रकाशित

पत्रिका पड़ताल

यह तस्वीर 15 सितम्बर 2019 की है

इन सालों में बहा भारी मात्रा में पानी

विभागीय जानकारी के अनुसार 1984 में 5 हजार 473 एमसीएम पानी ओवरफ्लो हुआ। इसी तरह 1986 में 3 हजार 405, 1987 में 1263, 1988 में 2278, 1989 में 922, 1990 में 8471, 1991 3413, 1993 को 2305, 1994 को 14540, 1995 को 40, 1996 को 6812, 1997 को 4343, 1998 को 2020, 1999 को 1605, 2003 को 1009, वर्ष 2004 में 4450, 2005 में 780, 2006 में 18675, 2007 में 5632, 2011 में 4190, 2012 में

27 बार ओवरफ्लो हुआ कडाणा

इन सालों में हो ओवरफ्लो नहीं

इनका कहना है...

जालोर पत्रिका 11 जुलाई 2021

पुरजोर मांग के साथ चलेगा माही रथ गांवों से जुटाया जाएगा जन समर्थन

पत्रिका इम्पैक्ट

माही प्रोजेक्ट : पत्रिका की मुहिम पर किसान संघ की बड़ी पहल, माही-कडाणा की मुहिम के लिए बड़े स्तर पर छेड़ा जाएगा आंदोलन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जालोर. 5 दशक बाद माही और इससे जुड़े कडाणा बांध से जालोर के हक की लड़ाई के लिए किसान संघ बड़ा आंदोलन करेगा। पत्रिका की इस मुहिम की कड़ी में ही राजस्थान किसान संघ की ओर से माही रथ कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। हालांकि अभी तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तय किया जाएगा। यह पहल कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद किसानों ने अपने स्तर पर भी एक बड़ी मुहिम के तहत इस कवायद का मानस बनाया है। इस अभियान के तहत एक रथ का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। यह रथ गांव गांव भ्रमण करेगा और किसानों को इस प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के लिए जागृत करेगा। प्रतिदिन 10 गांवों का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास रहेगा। कार्यक्रम का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के साथ कडाणा बांध से पानी के लिए हक की लड़ाई के लिए तैयार करना रहेगा। यह एक विस्तृत कार्यक्रम रहेगा, जो भविष्य में बांध पर जालोर-सिरोही-बाड़मेर के पानी के हक निर्धारण में महत्वपूर्ण साबित होगा।

राजस्थान पत्रिका
7 जुलाई 2021

राजस्थान पत्रिका
8 जुलाई 2021

राजस्थान पत्रिका
9 जुलाई 2021

राजस्थान पत्रिका
10 जुलाई 2021

शीर्ष न्यायालय में चल रही लड़ाई

इस मामले में शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है। इसी कड़ी में किसान संघ की ओर से अब महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य से तीनों जिलों के अधिक से अधिक किसानों और लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के साथ जालोर की इस मांग पर सकारात्मक पहल करना है। ताकि भविष्य में इसका फायदा मिल सके।

सभी को जोड़ने का रहेगा प्रयास

यह मुहिम किसी एक राजनीतिक दल, संगठन से जुड़ी हुई नहीं रहेगी बल्कि इस कार्यक्रम में सभी संगठनों, राजनीतिक दलों की सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह यह किसानों और जनता के हित का मुद्दा है तो यह आंदोलन भी किसी एक किसान संगठन का नहीं होकर सभी किसानों का होगा।

इनका कहना

माही परियोजना से जिले को लाभान्वित करने के लिए किसान संघ प्रयासरत है। सभी के सहयोग से इस मुहिम को सफल बनाने के लिए माही रथ तैयार किया जाएगा, जिसमें आमजन और दानदाताओं का सहयोग भी लिया जाएगा। इस हक की लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़ने के लिए अन्य संगठनों से भी सहयोग लिया जाएगा।

बद्रीदान नरपुरा, अध्यक्ष,
राजस्थान किसान संघर्ष समिति, जालोर

पत्रिका ने उठाया मुद्दा, अब हक की लड़ाई

राजस्थान पत्रिका ने नर्मदा परियोजना से मिल रहे अपर्याप्त और अनियमित पानी की आपूर्ति से बन रहे विकट हालातों के बीच माही परियोजना से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर 7 जुलाई के अंक में '5 दशक पूर्व जल संकट को भांप लिया था हमारे पूर्वजों ने, हम भूले तो गुजरात ने मार लिया हक' 8 जुलाई के अंक में 'हाई लेवल केनाल से पानी पहुंचना था जालोर-बाड़मेर गुजरात ने 320 किमी बना दी सुजलाम सुफलाम नहरें' 9 जुलाई के अंक में 'कडाणा बांध से मिले हमारा हक तो 32 लाख बीघा क्षेत्र होगा सिंचित, नर्मदा से हो रहा मात्र 15 लाख' और 10 जुलाई के अंक में '37 साल में 27 बार ओवरफ्लो हुआ कडाणा व्यर्थ में बह गया 1.30 लाख एमसीएम पानी' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया।

जनप्रतिनिधि बोले हम तैयार...

परियोजना की क्रियान्विति के लिए पूर्व में प्रयास हुए थे। व्यक्तिगत स्तर पर इस परियोजना के लिए प्रयास करूंगा।

नारायणसिंह देवल, विधायक, रानीवाड़ा

माही परियोजना महत्वपूर्ण और जालोर-सिरोही-बाड़मेर से जुड़ी हुई है। डार्क जोन से ग्रसित जालोर जिले के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण है। क्रियान्विति के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।

जोगेश्वर गर्ग, विधायक, जालोर

दाद

जालोर पत्रिका 27 जुलाई 2021

बलवती होने लगी माही परियोजना की क्रियान्विति की मांग, मुख्यमंत्री तक पहुंची जालोर के हक की बात

कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जालोर. जालोर जिले से जुड़ी महत्वपूर्ण माही परियोजना की क्रियान्विति की मांग को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कलक्टर अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा के नेतृत्व में कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि जालोर, सिरोही और बाड़मेर सूखे से प्रभावित जिले हैं। इन जिलों के लिए कडाणा बांध पर गुजरात सरकार द्वारा निर्मित सुलजाम सुफलाम नहर से पूर्व में संपन्न समझौते के तहत अपने हक का पानी राजस्थान को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ज्ञापन में बताया गया है कि माही परियोजना की क्रियान्विति के दौरान ही खोसला कमेटी ने माही नदी पर दो बांध बांसवाड़ा एवं कडाणा के निर्माण के लिए सुझाव दिए थे। साथ ही कडाणा बांध से एक हाई लेवल केनाल पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी से जूझ रहे जालोर, बाड़मेर जिले के लिए प्रस्तावित की थी। जो गुजरात क्षेत्र में करीब 200 मील लंबाई तक राजस्थान में प्रवेश करना प्रस्तावित था। ज्ञापन में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचनाओं का हवाला देते हुए बताया गया कि गुजरात राज्य ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है। शर्तों के अनुसार खेड़ा जिले को नर्मदा परियोजना से पानी मिलने के बाद कडाणा बांध का पानी राजस्थान के जालोर-बाड़मेर को दिया जाना था, लेकिन इसके विपरीत इस पानी से भी गुजरात राज्य सिंचाई कर रहा है और इससे अपने क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहरें भी बना दी है। ज्ञापन में बताया गया है कि कडाणा ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री प्रोजेक्ट एवं इसके संलग्न नक्शे से यह स्पष्ट होता है कि कडाणा बांध का निर्माण समझौते के तहत 1968 से शुरु होकर 1979 में पूरा हुआ। बांध का दो तिहाई भाग का कैचमेंट एरिया राजस्थान का है। कडाणा निर्माण के समय डूब क्षेत्र के राजस्थान के 132 गांव प्रभावित हुए थे।

केवल छोटा प्रयास बन सकता है बड़ी पहल

संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि आरटीआई के दस्तावेजों में साफ है कि राजस्थान बोर्डर से मात्र 15 किमी की दूरी पर ही सुजलाम सुफलाम नहरें गुजरात राज्य में है। इसी से जुड़ती राजस्थान में हाई लेवल केनाल का निर्माण कर राजस्थान के जालोर और बाड़मेर तक पानी पहुंचाया जाए तो भविष्य के लिए अच्छी पहल होगी।

जालोर पत्रिका 10 अगस्त 2021

माही पर चुप्पी टूटी | मुख्य सचिव ने गुजरात सरकार को लिखा पत्र कडाणा मामले में अंतरराज्यीय बैठक जरुरी

पत्रिका बिग इश्यू

इकरार के अनुसार खेड़ा जिले को नर्मदा परियोजना से पानी मिलने का हवाला देते हुए शर्तों के अनुसार राजस्थान के हिस्से का पानी देने की बात, जिले के लिए महत्वपूर्ण यह प्रोजेक्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जालोर. 1966 के जिस समझौते का उल्लंघन करते हुए गुजरात राज्य जालोर-बाड़मेर-सिरोही जिले के हिस्से के पानी का उपयोग सिंचाई में कर रहा है।

उस हिस्से के पानी को 1966 को राजस्थान और गुजरात सरकार के इकरार नामे के अनुसार राजस्थान को देने के लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पत्र लिखा है। यह पत्र 15 अप्रेल 2021 को भेजा गया है। इस बात का खुलासा 27 जुलाई को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी में हुआ है। पत्र में मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह भी जिक्र किया गया है कि इस संबंध में राजस्थान सरकार की ओर

कडाणा बांध

33वीं मीटिंग का हवाला

गुजरात सरकार द्वारा राजस्थान के हिस्से का मनमाने तरीके से उपयोग के माले में पत्र में लिखा गया है कि 33वीं मीटिंग में चर्चा के दौरान यह साफ हो चुका है कि नर्मदा परियोजना से खेड़ा जिला अब पूरी तरह से सिंचित हो चुका है। सीधे तौर पर जो इकरार हुआ था, उसके अनुसार अब कड़ाणा बांध के पानी राजस्थान के जालोर-बाड़मेर-सिरोही जिले को दिया जाना है।

नवंबर 2019 को सचिव राजस्थान सरकार की ओर से भी पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के अनुसार दोनों राज्यों के बीच एक बैठक का आयोजन

जरुरी है... समाधान के लिए बैठक

करीब छह दशक पूर्व के इस प्रोजेक्ट में अब भी कडाणा बांध के पानी का उपयोग गुजरात अपने क्षेत्र की सिंचाई में कर रहा है। यह पानी सुजलाम सुफलाम परियोजना में काम लिया जा रहा है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए कई बैठकें हुई। साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से गुजरात राज्य को पत्र भी लिखे गए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इस बार मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए पत्र में इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक अंतरराज्यीय बैठक के आयोजन के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी भाग लें और इस समस्या का किसी भी स्थिति में समाधान करने के साथ राजस्थान के हिस्से के पानी के लिए हिस्सेदारी तय की जाए। बैठक में इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए तारीख निर्धारित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

अब तक... यह हुआ

राजस्थान में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही सरकार के कार्यकाल में इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में राजस्थान का हक प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए, हालांकि ये प्रयास सरकारी स्तर पर गोपनीय तरीके से ही हुए, जिसका खामियाजा यह उठाना पड़ा कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में केवल कागजी कार्रवाई ही चलती रही। राजस्थान सरकार ने लगातार पत्र लिखे, लेकिन गुजरात ने लगभग एक भी पत्र का जवाब तक देना उचित नहीं समझा। सीधे तौर पर यह बड़ा विषय है और इस पर इकरार नामे की क्रियान्विति हो जाती है तो गुजरात को पानी का बड़ा हिस्सा राजस्थान को देना होगा, जिसका हकदार जालोर-बाड़मेर और सिरोही जिला है। राजस्थान किसान संघर्ष समिति के संयोजक विक्रमसिंह पूनासा का कहना है कि जालोर जिले के लिए यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसकी क्रियान्विति के लिए किसान एकजुट हैं।

सूचना के अधिकार के तहत हाल ही में जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने एक उच्चस्तरीय अंतरराज्यीय बैठक के आयोजन के लिए निर्देशित किया गया है।

जालोर पत्रिका 12 अगस्त 2021

माही प्रोजेक्ट: दिल्ली में एक मंच पर एकजुट नेता औ किसान, जल शक्ति मंत्री से जागी उम्मीदों की किरण

पत्रिका बिग इश्यू

जिले के जनप्रतिनिधियों समेत किसान संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे, मंत्री ने पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जालोर. वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़े माही प्रोजेक्ट को अब गति मिलने की उम्मीद है। इस महत्वपूर्ण परियोजना की क्रियान्विति के लिए जिले के विधायक और सांसद समेत किसान संगठनों का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत से मिला। करीब 1 घंटे तक शेखावत जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ किसानों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से सुना।

जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित, रानीवाड़ा विधायक नारायणसिंह देवल और सांसद

जालोर. माही परियोजना से जुड़े कडाणा प्रोजेक्ट की क्रियान्विति को लेकर जल शक्ति मंत्री से चर्चा करते जनप्रतिनिधि व किसान। पत्रिका

राजस्थान किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा ने माही परियोजना की क्रियान्विति से लेकर वर्तमान हालात की सूचना के अधिकार के तहत मिली पुख्ता जानकारी से मंत्री शेखावत को अवगत करवाया। यह भी बताया कि मामले में गुजरात का खेड़ा जिला

बाद खोसला कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव के अनुसार अब कडाणा बांध से हाई लेवल केनाल बनाकर पानी जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले को दिया जाना चाहिए। ऐसा समझौते में उल्लेख है। मंत्री ने प्रोजेक्ट की तथ्यात्मक जानकारी जुटाने के साथ मामले में उचित कार्रवाई का

इसलिए है महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और फायदे

जालोर-बाड़मेर जिले डार्क जोन में हैं। पानी की कमी से सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। इस सभी हालातों को देखते हुए ही खोसला कमेटी ने करीब पांच दशक पूर्व रिपोर्ट में कडाणा बांध से इन क्षेत्रों को पानी मुहैया करवाने का सुझाव दिया था और उसी के आधार पर करार भी हुआ। 1966 में बने माही प्रोजेक्ट के तहत कडाणा बांध से 32 लाख बीघा जमीन सिंचित होनी थी। वहीं कडाणा से 100 फीट चौड़ी और 50 फीट गहरी केनाल बनाकर यह पानी राजस्थान के इन हिस्सों तक पहुंचाया जाना था, ताकि सूखा ग्रस्त क्षेत्र में पानी की कमी दूर करने के साथ साथ सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध करवाया जा सके। लेकिन ढिलाई का नतीजा यह रहा कि कडाणा बांध के पानी से गुजरात राज्य में सुजलाम सुफलाम नहरों से बड़े हिस्से में सिंचाई हो रही है, जबकि इस पानी पर राजस्थान का अधिकार है।

माही को लेकर सभी एक मंच पर

इस मुद्दे पर तमाम जनप्रतिनिधि, किसान संगठन एकजुट दिख रहे हैं। वार्ता के दौरान भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष सोमाराम चौधरी, नहरी प्रभारी भलाराम व राजस्थान किसान संघर्ष समिति के संयोजक विक्रमसिंह, कोषाध्यक्ष सुरेश व्यास, उपाध्यक्ष शिवनाथसिंह राजपुरोहित, जिला महामंत्री पुखराज राजपुरोहित,

पत्रिका बनी... जालोर की जनता की आवा

5 दशक पूर्व जल संकट को भांप लिया था हमारे पूर्वजों ने, हम भूले तो गुजरात ने मार लिया हक

राजस्थान पत्रिका ने नर्मदा परियोजना से मिल रहे अपर्याप्त और अनियमित पानी की आपूर्ति से बन रहे विकट हालात के बीच माही परियोजना से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर 7 जुलाई के अंक में '5 दशक पूर्व जल संकट को भांप लिया था हमारे पूर्वजों ने, हम भूले तो गुजरात ने मार लिया हक' 8 जुलाई के अंक में 'हाई लेवल केनाल से पानी पहुंचना था जालोर-बाड़मेर गुजरात ने 320 किमी बना दी सुजलाम सुफलाम नहरें' 9 जुलाई के अंक में 'कडाणा बांध से मिले

हमारा हक तो 32 लाख बी होगा सिंचित, नर्मदा से हो र 15 लाख' और 10 जुलाई के में '37 साल में 27 बार ओव हुआ कडाणा व्यर्थ में बह गया लाख एमसीएम पानी' शीर्ष समाचार प्रकाशित किया। 11 को 'पुरजोर मांग के साथ चलेग रथ गांवों से जुटाया जाएग समर्थन' और 10 अगस्त को पर टूटी चुप्पी, मुख्य सचिव ने गु सरकार को लिखा पत्र कडाणा में अंतरराज्यीय बैठक ज शीर्षक से समाचार प्रकाशित

जालोर पत्रिका 19 अगस्त 2021

माही और नर्मदा के पानी के लिए जालोर और भीनमाल में बुलंद होने लगी आवाज

माही परियोजना के लिए एकजुट होने लगे किसान

जालोर. नरपुरा में बैठक को संबोधित करते अध्यक्ष। पत्रिका

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जालोर. माही परियोजना की क्रियान्विति के साथ इससे जिले को लाभान्वित करने की कार्ययोजना के तहत कालेटी गांव में निंबेश्वरी माता मंदिर में राजस्थान किसान संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परियोजना की स्थिति को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया और वक्ताओं ने वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। बैठक में अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा ने आरटीआई नकलों से लेकर रिट याचिका दायर तक तथा राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार तक जन प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क कर की गई कार्यवाही से अवगत करवाया गया। बैठक में संयोजक विक्रमसिंह पूनासा ने भी प्रोजेक्ट की रूपरेखा से अवगत करवाया। साथ कालेटी गांव तथा वाडा भाडवी गांव की गांव इकाई समिति का चयन किया गया। इस मौके पर विक्रम सिंह पूनासा, सुरेश व्यास, गेमरसिंह सूर्यवंशी, मोडाराम देवासी, हरिराम विश्नोई, भगवानाराम विश्नोई, सुरजसिंह सुराणा, भंवरदान मिंडावास, गोपाल सिंह, हरदानसिंह, बलवंत दान, सांवलदान मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं ने नर्मदा से पानी की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

भीनमाल मांगे नर्मदा का नीर अभियान

लंबे समय से पेयजल समस्या को झेल रहे है लोग

नहीं हो रहा समस्या का समाधान

भीनमाल मांगे नर्मदा का नीर अभियान के तहत ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भीनमाल. नर्मदा संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे भीनमाल मांगे नर्मदा का नीर अभियान के तहत बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रामसिंह राव को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि नर्मदा के ईआर प्रोजेक्ट के तहत 2016 में भीनमाल शहर को पानी उपलब्ध होना था, लेकिन पांच साल की अवधि गुजरने के बाद भी नर्मदा का पानी भीनमाल नहीं पहुंचा है। कंपनी की ओर से कार्य बीच में छोड़ने की वजह से भीनमाल व क्षेत्र के लोग आज हलक तर करने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में इस बार उपजे अकाल के चलते आने वाले समय पेयजल के लिए भारी मारामारी रहेगी। शहर में वर्तमान में दस दिन के अंतराल में एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने ज्ञापन में राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग होने पर ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो सकेगा। इससे पहले धरने को सम्बोधित करते हुए संघर्ष समिति के सदस्य शेखर व्यास ने कहा कि पेयजल समस्या शहर की ज्वलंत समस्या है।

इसके लिए शुरू किए अभियान में सभी शहरवासियों को भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नगराज पुरोहित, बस्तीमल खत्री, शिवनारायण विश्नोई, भरतसिंह भोजाणी, अशोकसिंह ओपावत, आसूसिंह सेरणा, रामनिवास भादू, विक्रम कुमार, जितेन्द्रसिंह मोदरान, रघुनाथसिंह भाटी, पृथ्वीसिंह, अरूण सोलंकी, किशोर कुमार फुलवारिया, कमलेश कुमार मेघवाल, श्रवण ढाका, बस्तीमल खत्री, हरिशचन्द्रसिंह, जयकिशन विश्नोई, दिनेश हिगड़ा, प्रवीणसिंह देवल व नरेन्द्र कुमार मौजूद थे।

जालोर पत्रिका 11 सितम्बर 2021

माही के पानी की मांग को लेकर मुख्य सचिव से मिले किसान

जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात करते राजस्थान किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी। पत्रिका

जालोर. माही परियोजना के पानी की मांग को लेकर गुरुवार को राजस्थान किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में मुख्य सचिव से मुलाकात की। राजस्थान किसान संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष सुरेश व्यास ने बताया कि गुरुवार को जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर माही के पानी को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से माही बजाज सागर परियोजना के माही बांध व गुजरात के कडाणा बांध के पानी से सम्बंधित आरटीआई पत्रावलियां बताकर करीब 2 घंटे चर्चा की गई। उसके बाद माही बांध का 40 टीएमसी व कडाणा का 28 टीएमसी पानी जालोर, सिरोही व बाड़मेर को देने की मांग की। साथ ही बताया कि बारिश के दिनों से दोनों बांधों से निकलने वाला ओवरफ्लो पानी खम्भात की खाड़ी में जाता है। उसे रोककर पश्चिमी राजस्थान में जालोर, सिरोही व बाड़मेर में दिया जाए। इस दौरान राजस्थान व गुजरात के बीच 10 जनवरी 1966 के समझौते को लेकर चर्चा की गई। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जल संसाधन के सचिव से बातचीत कर 1966 के समझौते के अनुसार राजस्थान के हिस्से का पानी दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान राजस्थान किसान संघर्ष समिति के संरक्षक विक्रमसिंह पुनासा, अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा, बाड़मेर अध्यक्ष केशरसिंह, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमानसिंह रवांगरा एवं संघर्ष समिति जालोर के महामंत्री गिमरसिंह मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर 7 अक्टूबर 2021

माही नदी परियोजना को लेकर मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

जालोर | राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जालोर-सिरोही बाड़मेर के लिए माही नदी परियोजना के तहत कडाना बांध से अपने माही जल उपलब्ध करवाने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। राजस्थान किसान संघर्ष समिति द्वारा इस प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर में रीट नंबर 3637/2021 में राज्य सरकार द्वारा न्यायोचित जवाब समय पर प्रेषित करने को कहा। इस पर मुख्य सचिव ने त्वरित कार्रवाई के लिए प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए। इस दौरान जिला संयोजक विक्रमसिंह पुनासा, अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा, बाड़मेर जिलाध्यक्ष केशर सिंह राठौड़ सिवाना, तथा मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमानसिंह खांगटा मौजूद रहे।

जालोर पत्रिका 13 नवंबर 2021

कडाणा बांध के संबंध में जल शक्ति मंत्री से प्रतिनिधिमंडल के मिलने के बाद स्थानीय स्तर से मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट

रिपोर्ट : कडाणा पर जालोर का हक, हाईलेवल केनाल के लिए डीपीआर बने, मिलना चाहिए तीनों जिलों को पानी

पत्रिका बिग इश्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जालोर. माही परियोजना से जुड़े कडाणा बांध के पानी पर अब जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले का हक है और यह समझौते में तय है। 10 अगस्त को राजस्थान किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा और जिला संयोजक विक्रमसिंह पूनासा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल जल शक्ति मंत्री से मिला था और कडाणा बांध से जालोर-सिरोही और बाड़मेर जिले को पानी देने की मांग की थी। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी भी जलशक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत को साझा की थी। इसी बैठक के आधार पर जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मुख्यालय स्तर पर इस प्रोजेक्ट की वस्तुस्थिति के लिए रिपोर्ट मांगी गई थी। हाल ही में जल संसाधन विभाग जालोर की ओर से इस पूरी जानकारी की क्वेरी के बाद रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई है, जो इस प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के राजस्थान के तीन जिलों के दावों को मजबूत करती है।

कडाना डेम। फाइल फोटो

पत्रिका की खबरों ने बुलंद की आवाज

कडाणा बांध पर राजस्थान के तीन जिलों का हक होने के साथ इस संबंध में लिखित समझौता भी वर्ष 1966 में ही हुआ था, लेकिन राजनीतिक शिथिलता और इच्छा शक्ति के अभाव में इस पानी पर गुजरात ने कब्जा कर लिया और जो 40 टीएमसी पानी राजस्थान को मिलना था, उससे सुजलाम सुफलाम नहरों से गुजरात में सिंचाई हो रही है। इस हालात से राजस्थान को हो रही दिक्कत को लेकर राजस्थान पत्रिका 7 जुलाई 2021 से 11 जुलाई 2021 को समाचार प्रकाशित किए थे। इसका हवाला भी लिखित रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

सकारात्मक : विभिन्न जवाबों पर यह सकारात्मक जवाब

- आरटीआई साक्ष्यों के अनुसार माही नदी के जल उपयोग एवं बंटवारे के लिए 10 जनवरी 1966 को राजस्थान औरगुजरात के मध्यम एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। खोसला रिपोर्ट के अनुसार कडाणा एवं माही बांध बांसवाड़ा में संग्रहित जल के दो तिहाई को राजस्थान द्वारा उपयोग किया जाएगा एवं 1 तिहाई भाग गुजरात द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- माही रिवर बेसिन का कडाणा बांध तक कुल कैचमेंट एरिया 25849 वर्ग किमी है, जिसमें गुजरात सीमा में 2457 वर्ग किमी एव राजस्थान सीमा में अवस्थित 16985 वर्ग किमी लगभग दो तिहाई भाग है। बांध के भराव क्षेत्र के कुल भराव क्षमता पर गुजरात के 53 गांव एवं राजस्थान के 132 गांव डूब क्षेत्र में आए।
- माही जल को राजसीन के मरुस्थलीय क्षेत्र में डावर्जन अवधारण प्रस्तुत की गई एवं कडाणा हाई लेवल केनाल द्वारा पश्चिमी राजस्थान के जालोर एवं बाड़मेर में जल उपलब्धता की अवधारणा को रखा गया। कडाणा से गुजरात में लगभग 200 मील लंबी नहर प्रवाहित होकर राजस्थान सीमा में प्रवेश प्रस्तावित था।
- गुजरात का खेड़ा जिला वर्ष 2005 से नर्मदा नहर से सिंचित हो रहा है। इसके बाद गुजरात द्वारा सुजलाम सुफलाम नहर योजना का निर्माण 2006 में किया गया था। इस पानी का उपयोग सुजलाम सुफलाम में किया जा रहा है। जबकि खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित होने के बाद कडाणा बांध के पानी का उपयोग जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले को होना चाहिए। कडाणा से 40 टीएमसी पानी राजस्थान को मिलेगा।
- जालोर, सिराही, बाड़मेर क्षेत्र के सिकानों की आर्थिक स्थिति एवं गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्धता में सकारात्मक सुधार अपेक्षित है। जालोर जिला अतिदोहित है और वर्ष 2001 से 2021 के मध्य प्रतिवर्ष जल स्तर में औसत गिरावट 0.53 मीटर दर्ज की गई है।
- सुजलाम सुफलाम नहर को आगे बढ़ाकर राजस्थान के जालोर, सिरोही और बाड़मेर तक पानी पहुंचाने के लिए केनाल बनाने के मामले में सक्षम एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण करवाने का सुझाव और प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर बनाने की आवश्यकता की रिपोर्ट भेजी गई है।

क्रियान्विति तो बड़ा फायदा

कम बारिश से सबसे अधिक नुकसान किसानों को हो रहा है। दूसरी तरफ भूजल स्तर में गिरावट आती जा रही है। राजस्थान सीमा से मात्र 15 किमी दूरी पर गुजरात सीमा पर सुजलाम सुफलाम केनाल में सिंचाई का पानी बहाव हो रहा है। इसी प्रोजेक्ट से हाई लेवल केनाल को जोड़कर राजस्थान के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को लाभान्वित किया जा सकता है।

इनका कहना

जल शक्ति मंत्री के समक्ष पेश किए गए दस्तावेज पर उन्होंने प्रोजेक्ट की क्रियान्विति को लेकर आश्वस्त किया था। यह प्रोजेक्ट जिले के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक प्रयास से राजस्थान के सूखे क्षेत्र लाभान्वित होंगे और कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा।

-बद्रीदान नरपुरा,
अध्यक्ष, राजस्थान किसान संघर्ष समिति

कडाणा बांध से राजस्थान के सूखे क्षेत्र को लाभान्वित करने के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त डायरी के आधार मुख्यालय स्तर पर जानकारी मांगी गई थी। हाल ही में इस संबंध में जानकारी मुख्यालय को संलग्न की गई है।

-हरीश बाबू शर्मा,
एक्सईएन, जल संसाधन विभाग

जालोर पत्रिका 4 दिसंबर 2021

मंत्रालय में बदलाव के साथ ही माही परियोजना पर गहमागहमी

मजबूत पैरवी से जालोर-बाड़मेर-सिरोही को मिल सकेगा कडाणा के पानी में हक

पत्रिका पब्लिक इश्यू

माही जल समझौता | माही परियोजना पर गर्मा रही सियासत, लेकिन जालोर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर हमारा हक

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जालोर. वर्षों से अटके पड़े माही परियोजना से जुड़े कड़ाणा बांध प्रोजेक्ट की क्रियान्विति से पहले ही सियासत तेज हो गई है। यह मसला करीब 6 दशक बाद एक बार फिर से चर्चा में है और जो तथ्य सामने आए हैं, उससे यह साफ है कि समझौते के अनुसार गुजरात को कड़ाणा बांध से राजस्थान के सूखा ग्रस्त जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले को पानी देना होगा।

इधर, इस प्रारंभिक तथ्यात्मक रिपोर्ट के बीच ही राजस्थान सरकार के नए केबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बयानबाजी खासी चर्चा में है। मंत्री मालवीया के पास जल संसाधन मंत्रालय है तो यह बयान विशेष महत्व रखता है। मूल रूप से बांसवाड़ा जिले और गुजरात राज्य से जुड़े इस मसले के जालोर जिले के लिहाज से भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बयानबाजी के बाद गुजरात में भी हड़कंप है। क्योंकि यह मामला 1966 को गुजरात और राजस्थान के बीच अंतरराज्यीय जल समझौते को लेकर हैं। जिसका सीधा असर पश्चिमी राजस्थान पर ही पड़ने वाला है।

कडाणा बांध

कवायद | यह पूरा मामला केवल रेंग रहा था, लेकिन पिछले दिनों जालोर से किसानों का प्रतिनिधि मंडल जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत से मिला और दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिस पर उन्होंने मामले में रुचि दिखाते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद धरातल से भी इस मामले में कवायद शुरु हुई।

फायदा | इस प्रोजेक्ट की मंशा सूखे को सिंचित करना था, इसी कड़ी में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले को नर्मदा परियोजना से सिंचाई का पानी मिलने के बाद कडाणा बांध का 40 टीएमसी पानी हाई लेवल केनाल से जालोर, बाड़मेर जिले को मिलना था। जिससे इस क्षेत्र के किसानों को फायदा मिल सके।

इनका कहना

जो इकरार परियोजना की क्रियान्विति के समय हुआ था उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए। इस परियोजना में हमारे यहां के सैकड़ों किसानों की जमीन गई। अब खेड़ा जिले को पानी मिल रहा है तो इकरार में जो तय हुआ था उसके अनुरूप राजस्थान को पानी मिलना चाहिए।

- महेंद्रजीत मालवीया, जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार

सिंचाई और पेयजल को पानी

राजस्थान के इन हिस्सों में पानी का संकट रहता है। इस प्रोजेक्ट की क्रियान्विति भी हो जाए तो भविष्य में किसानों का पानी मिलने के साथ साथ पेयजल के लिए विकल्प और भी बढ़ जाएंगे।

मायने : कड़ाणा बांध से 40 टीएमसी पानी

पूरे मामे में विभागीय स्तर पर कागजी कार्रवाई चल रही है और इसमें यह साफ हो चुका है कि माही परियोजना की क्रियान्विति के दौरान जो इकरार गुजरात और राजस्थान सरकार के बीच हुआ, उसमें गुजरात सरकार ने मनमानी की है। सीधे तौर पर नर्मदा परियोजना की क्रियान्विति के बाद कड़ाणा बांध से 40 टीएमसी पानी हाई लेवल केनाल से जालोर, बाड़मेर और सिरोही जिले को मिलना था। इस संबंध में पिछले माह ही क्वेरी के बाद विभागीय स्तर पर मुख्यालय को रिपोर्ट भी भेजी गई। जिसमें इन तथ्यों का उल्लेख है।

धरातल : सीमा पर हमारे हिस्से का पानी बह रहा

कड़ाणा बांध से जो पानी पश्चिमी राजस्थान को मिलना था वह अभी सुजलाम सुफलाम नहरों के मार्फत गुजरात राज्य में उपयोग आ रहा है। राजस्थान की सीमा से 15 से 15 किमी की दूरी पर ही केनाल के मार्फत पानी को खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग लिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार समझौता प्रभावी रूप से लागू हो जाएं तो इन्हीं केनाल से ही राजस्थान पर भी केनाल बनाकर हाई लेवल केनाल बनाकर राजस्थान के प्रभावित और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा सकता है।

जालोर पत्रिका 14 अक्टूबर 2022

जालोर, सिरोही व बाड़मेर को मिलना है माही का पानी

17 साल से माही नदी के पानी का इंतजार गुजरात ने कड़ाणा बांध पर कर रखा है कब्जा

जल संसाधन मंत्री से मिल किसान बोले- खेड़ा को मिल रहा माही का पानी, समझौते के अनुसार कड़ाणा बांध से मिले राजस्थान को हक

FastEMI
SabKuch Kishte Main...
Electronics Smartphone Laptop
www.fastemi.com

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जालोर. राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर-बाड़मेर के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधि मंडल माही परियोजना के तहत कड़ाणा के पानी की मांग को लेकर बुधवार को जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीतसिंह मालवीय से मुलाकात की। इस दौरान किसानों के साथ श्रम राज्यमंत्री सुखराम बिश्नोई भी मौजूद रहे। करीब डेढ़ साल से माही परियोजना के तहत कड़ाणा बांध से जालोर, सिरोही और बाड़मेर को पानी दिलाने के लिए संघर्षरत किसान संघ लगातार जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों से मिल रहा है। इस कड़ी में पिछले वर्ष अगस्त में जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक भी की, जिसमें जालोर, आहोर, रानीवाड़ा के विधायक समेत जालोर-सिरोही सांसद भी शामिल हुए थे। इस मुलाकात के बाद पानी लाने की इस मुहिम ने और जोर पकड़ा। इसी कड़ी में अब किसानों ने राजस्थान के जल संसाधन मंत्री से 1965 में खोसला कमेटी की रिपोर्ट जिस पर जल संसाधन मंत्री ने माही बांध के ओवरफ्लो का पानी जालोर, सिरोही की नदियों एवं बांधों में देने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के

जयपुर में कड़ाणा के पानी की मांग लेकर जल संसाधन मंत्री से मिला किसान संगठनों का प्रतिनिधि मंडल। पत्रिका

कागजों में खोसला कमेटी की रिपोर्ट

माही एवं नर्मदा जल वितरण और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने 5 सितम्बर 1964 को खोसला कमेटी का गठन किया। कमेटी ने सरकार को 1 नवम्बर 1965 को अपनी रिपोर्ट पेश की। कमेटी ने माही नदी पर दो बांध बांसवाड़ा और कड़ाणा के निर्माण के सुझाव दिए। साथ ही कडाणा बांध से एक हाई लेवल केनाल राजस्थान के जालोर, बाड़मेर व सिरोही के लिए प्रस्तावित की थी। 10 जनवरी 1966 में राजस्थान और गुजरात के बीच माही जल बंटवारा समझौते हुआ। जिसके तहत बांसवाड़ा में माही बांध और गुजरात बॉर्डर पर कड़ाणा बांध निर्माण की सहमति बनी। समझौते में बात शामिल की गई कि जब गुजरात के माही क्षेत्र (खेड़ा) में नर्मदा का पानी आ जाएगा तब कड़ाणा बांध का दो तिहाई हिस्सा राजस्थान को दिया जाएगा। वहीं वर्ष 2005 में नर्मदा का पानी माही कमांड क्षेत्र में पहुंच गया, लेकिन गुजरात सरकार ने राजस्थान को पानी देने के बजाय सुजलाम सुफलाम नहर से गुजरात में सिंचाई शुरू कर दी।

- 15 अप्रेल 2021 को राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने गुजरात सरकार को पत्र लिखकर ऐतराज जताया कि दोनों राज्य के बीच बैठक करने को लेकर 22 जुलाई 2019 और 20 नवम्बर 2019 पत्र जारी किया था, लेकिन गुजरात सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
- पत्रिका में लगातार समाचार प्रकाशित होने के बाद किसान संघ ने कड़ाना से पानी लाने के लिए 11 जुलाई से अभियान शुरू किया। जिसके तहत प्रतिनिधि मंडल लगातार मंत्री व अधिकारियों से मिल रहा है।
- 10 अगस्त 2021 को किसानों संगठनों का प्रतिनिधि द... केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत से मिला। बैठ... में जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल, जालोर विधाय... जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहि... रानीवाड़ा विधायक नारायणसिंह देवल मौजूद रहे। जिस... बाद जल संसाधन विभाग जालोर की ओर से एक रिप... मुख्यालय को भेजी गई थी।

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

कड़ाणा बांध पर राजस्थान के तीन जिलों का हक होने के साथ इस संबंध में लिखित समझौता भी वर्ष 1966 में हुआ था, लेकिन राजनीतिक शिथिलता और इच्छाशक्ति के अभाव में इस पानी पर गुजरात ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। समझौते के तहत राजस्थान को 40 टीएमसी पानी मिलना था। उसी पानी से गुजरात के सुजलाम सुफलाम नहरों से गुजरात में सिंचाई हो रही है। इस पानी पर जालोर, बाड़मेर और सिरोही जिले के हक को लेकर राजस्थान पत्रिका ने 7 जुलाई 2021 से 4 दिसम्बर तक लगातार समाचार प्रकाशित किए थे जिसके फलस्वरूप कड़ाणा के पानी को लेकर मांग उठने लगी तो राज्य सरकार ने भी इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।

दैनिक भास्कर 29 नवंबर 2022

दशक पूर्व बने माही प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के लिए किसान बोले- न्यायालय ने की पहल, हमें भी कसनी होगी कमर

हाईकोर्ट के फैसले से खुश 1500 किसान नरपुरा गांव में जुटे, बोले- माही रथ यात्रा भी निकालेंगे

भास्कर न्यूज | जालोर

राजस्थान किसान संघर्ष समिति की ओर से पांच दशक पूर्व बने माही प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के क्रम में दर्ज की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दो माह में सरकार को प्रोजेक्ट पेश करने के निर्देश के बाद किसानों की बैठक का आयोजन नरपुरा में किया गया। इस दौरान सभी किसानों ने इस निर्णय पर खुशी जाहिर की। इस दौरान सर्व सम्मति से तय हुआ कि इस प्रोजेक्ट की सफल क्रियान्विति के लिए माही रथ यात्रा निकालने का सुझाव दिया। जिस पर सर्व सम्मति से सभी ने इसमें सहयोग का आश्वासन दिया।

वक्ताओं ने कहा कि जालोर ही नहीं बाड़मेर, सिरोही जिले के लिए यह प्रोजेक्ट क्रियान्विति होने पर वरदान साबित होगा। इस दौरान संयोजक विक्रमसिंह पूनासा ने कहा कि जालोर जिला डार्क जोन में है और पानी के हक के मामले में हमारे साथ हमेशा से धोखा होता रहा है। लेकिन अब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। इस सकारात्मक लड़ाई में जो न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, वे भविष्य से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष ब्रदीदान नरपुरा ने कहा कि न्यायालय में हमारी पहली जीत हुई है और अब सरकार को इस प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश करनी है। हमने एकजुटता का जो परिचय वर्तमान स्थित के लिए दिखाया है। वहीं हमें इस प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के लिए भी दिखाना होगा।

जालोर. नरपुरा में किसानों के कार्यक्रम को संबोधित करते वक्ता।

अब तो किसानों के खेत भी लहलहाएंगे

सचिव गेमरसिंह ने कहा कि हमारे खेत सूख चुके हैं और भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। यह बड़ा विषय है। अपर्याप्त बारिश की स्थिति में हालात और भी विकट हो जाते हैं। यदि माही परियोजना की क्रियान्विति हो जाती है तो हमारे खेत में भी फसल लहलहाएंगी। कार्यक्रम को कोषाध्यक्ष सुरेश व्यास, भा... किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दलाराम, भलाराम, टीकमा... ब्रह्मचारी सत्यानंद महाराज, जयवीरसिंह गोदारा, केशरसिंह रा... ने भी संबोधित किया।

दैनिक भास्कर 24 नवंबर 2022

जनहित याचिका • जालोर-बाड़मेर जिले से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट छह दशक से कागजों में

माही प्रोजेक्ट: सरकार को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक हाईकोर्ट को बतानी होगी योजना

भास्कर न्यूज | जालोर

माही प्रोजेक्ट की क्रियान्विति को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल व रेखा बोराणा ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को प्रोजेक्ट बनाकर जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। भूजल भंडारों में आई कमी के चलते डार्क जोन में शुमार जालोर जिले को 1966 में पर्याप्त पानी मुहैया करवाने के लिए यह प्रोजेक्ट बना था। इस महत्वपूर्ण निर्देश के बाद राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर के जिला संयोजक विक्रमसिंह पुनासा व अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा ने प्रेस वार्ता की।

नरपुरा ने बताया कि माही प्रोजेक्ट की क्रियान्विति को लेकर सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर 2021 में दायर याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मामले के अनुसार इस प्रकरण में अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि पूर्व में इस प्रकरण के संबंध में अवगत नहीं करवाया गया। अन्यथा कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण करवा देते। इस मामले में आगे की रणनीति के लिए राजस्थान किसान संघर्ष समिति के सदस्यों की आम बैठक समिति के मुख्यालय करणी धाम पंच देवल नरपुरा में 28 नवंबर को होगी। जिसमें इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के लिए रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी।

समिति ने दिए हैं कई सुझाव, सरकार को एक विकल्प के बारे में बताना होगा

पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीशों ने राजस्थान सरकार को समिति की ओर से रखे गए प्रस्तावों पर अमल करने को निर्देश दिए। निर्देशित किया कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर की ओर से रखे गए चार सुझाव माही डैम से जल जालोर-बाड़मेर को उपलब्ध करवाने, माही नदी का पानी जालोर, बाड़मेर को उपलब्ध करवाने, माही नदी को लूनी नदी से जोड़ना व माही डैम का ओवर फ्लो पानी जो व्यर्थ बह कर खंभात की खाड़ी में जाता है उसे डायवर्ट कर जालोर-बाड़मेर को उपलब्ध करवाने के सुझावों में से एक ऑप्शन पर या राजस्थान सरकार अपने स्तर पर कोई उचित विकल्प तलाशे। कोर्ट ने इस मसले पर कार्रवाई कर योजना बनाकर जनवरी-2023 के द्वितीय सप्ताह तक न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं।

प्रेसवार्ता करते किसान संघर्ष समिति पदाधिकारी।

इससे पहले यह था सरकार का जवाब

जनवरी 2022 में ही राजस्थान सरकार ने जवाब लिखा था कि जालोर एवं बाड़मेर में सूखे की स्थिति रहती है और पानी के संकट के बीच जालोर एवं बाड़मेर में जल स्तर में गिरावट आ रही है। माही डैम का जो पानी हर वर्ष ओवरफ्लो होकर खंभात की खाड़ी में पानी व्यर्थ बह जाता है। उसको यदि डायवर्ट कर जालोर व बाड़मेर को पानी उपलब्ध करवाया जाए तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में किसानों एवं आमजन को पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

जालोर के हित से जुड़ा मामला

माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से शुरू होती है। जिसमें सात नदियों का संगम होता है। बांसवाड़ा के नजदीक 1960 में माही सागर बांध की स्थापना की गई थी। 1966 में राजस्थान सरकार व गुजरात सरकार के बीच एक समझौता हुआ। जिसमें 9 टीएमसी पानी राजस्थान को व 40 टीएमसी पानी गुजरात को देने पर सहमति बनी। यह भी निर्णय हुआ कि गुजरात राज्य के खेड़ा तक नर्मदा परियोजना तक पानी पहुंचने के बाद कडाणा बांध से 28 टीएमसी पानी जालोर, बाड़मेर सिरोही जिले के लिए दिया जाना है। समझौते के अनुसार 1983 में राजस्थान सरकार ने हक का पानी मांगा तो गुजरात सरकार ने सहमति नहीं दी। यह मसला तब से कागजों और केंद्र और राज्य सरकार के बीच घूम रहा है। अब यह महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य से जुड़ा हुआ है।

जालोर भास्कर 18 दिसम्बर 2022

कडाणा बांध से जालोर-सिरोही को मिले पानी

जालोर एवं सिरोही जिले को कडाणा बांध पर निर्मित सुजलाम सुफलाम नहर से माही जल उपलब्ध करवाने की मांग की

भास्कर न्यूज | जालोर

जालोर-सिरोही सांसद देवजी एम. पटेल ने शुक्रवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत जालोर एवं सिरोही जिले को कडाणा बांध पर निर्मित सुजलाम सुफलाम नहर से माही जल उपलब्ध करवाने का मुद्दा उठाया।

सांसद पटेल ने लोकसभा में बताया कि खोसला कमेटी रिपोर्ट 01 सितंबर 1965 के अनुसार गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर कडाणा बांध बनाना प्रस्तावित किया गया। जिसके मुताबिक 01 अक्टूबर 1966 को राजस्थान एवं गुजरात राज्य के बीच माही जल बंटवारा समझौता के तहत कडाणा बांध का निर्माण हुआ। जिसमें वर्णित है कि जब खेडा जिला नर्मदा से सिंचित होगा तब कडाणा बांध के पानी का दो तिहाई भाग राजस्थान का तथा एक तिहाई भाग गुजरात का होगा। यह पानी हाई लेवल नहर से राजस्थान के जालोर एवं सिरोही जिले को दिया जाएगा। समझौता अनुसार शर्त की पूर्ति 2005 में हो गई थी, जब से खेडा जिला नर्मदा से सिंचित होने लगा था। इसके बाद कडाणा बांध का पानी 337 किमी. सुजलाम सुफलाम नहर बनाकर उतरी गुजरात में उपयोग किया जा रहा है, जो कि समझौते के विरुद्ध है। सांसद ने संसद के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि समझौता के अनुसार सुजलाम सुफलाम नहर से जालोर व सिरोही को माही का जल उपलब्ध कराया जाए।

37 साल में 27 ओवरफ्लो होकर पानी व्यर्थ बहा

सांसद देवजी पटेल ने संसद में बताया कि कडाणा बांध 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होने के कारण पानी व्यर्थ में बह गया। 15 जुलाई 2019 को कडाणा से करीब 5.47 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे वडोदरा में बाढ़ आई थी।

दैनिक नवज्योति 2 जनवरी 2023

जनाक्रोश महासभा में कांग्रेस पर बरसे शेखावत

माही जल मामले में किसानों ने जड़े शेखावत पर आरोप कि उन्होंने हमारी मजबूत पैरवी नहीं की

नवज्योति/सायला

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत रविवार को एक दिवसीय सायला दौरे पर रहे। यहां उन्होंने प्रदेश में चल रही जन आक्रोश यात्रा के तहत जन आक्रोश महासभा को सायला के खेल मैदान में संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। रविवार को सायला में भाजपा के जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि राजस्थान में बार-बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैंए क्योंकि प्रदेश की सरकार की देखरेख में नकल माफिया पनप रहे हैं। यहां बिजली के नाम पर भी लूट मचा रखी है।

शेखावत तय कार्यक्रम से करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे। शेखावत ने बताया कि तय कार्यक्रम के अलावा लोगो द्वारा जगह जगह रोक कर समस्याए बताने के कारण लेट पहुंचे हैं। आए दिन किसी न किसी के नाम पर बिजली का बिल बढ़ा दिया जाता है। पिछले रास्ते हमारी जेब काटी जा रही है। जिससे यहां के किसान त्रस्त हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफकी। इस दौरान सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवणसिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्रसिंह बालावत सहित कई नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रानीवाड़ा विधायक नारायणसिंह देवल भाजपा संगठन जिला प्रभारी महेंद्र बोहरा, जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित, जालौर प्रधान नारायणसिंह राजपुरोहित, सायला प्रधान ढोमी देवी पुरोहित, डॉ मंजू मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष नेनमल, तुलसाराम, उदयसिंह, गणपतसिंह, सुरेश राजपुरोहित समेत जिले के जिला पदाधिकारी एवं सभी मोर्चा के जिलाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी एवं मंडल अध्यक्ष एवं मंडल पदाधिकारी सभी मोर्चा के पदाधिकारी एवं सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं प्रधान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य एवं नगरपालिका पार्षद एवं शक्ति केंद्र संयोजक बूथ अध्यक्ष सहि कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

किसानों ने पहले जताया विरोध, फिर भाजपा का लगाया जयकारा

रविवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान राजस्थान किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान सभा के बीच ही धरने पर बैठ गए। किसान माही डेम का ओवरफ्लो पानी पेयजल और सिंचाई के लिए छोड़ने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री शेखावत पर माही का पानी किसानों को उपलब्ध करवाने की पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया। किसान नेता बद्री दान चारण नरपा ने बताया कि माही का जल उपलब्ध करवाने को लेकर गुजरात और राजस्थान सरकार के बीच 1966 में समझौता हुआ था। जिसके तहत पेयजल और सिंचाई के लिए माही का जल उपलब्ध करवाया जाना था, लेकिन आज तक उस समझौते की पालना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि माही जल को इस क्षेत्र में लाया जाए तो जालोर सिरोही, बाड़मेर क्षेत्र के किसानों के लिए जीवनदायनी साबित हो सकता है।

किसानों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने माही का पानी किसानों के लिए उपलब्ध करवाने के लिए पैरवी नहीं की, जिससे जालोर के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा की जन आक्रोश महासभा के बीच किसानों के धरने पर बैठने पर जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग व रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल भी किसानों से समझाइश करने पहुंचे, लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं मानी।

नरपा ने कहा कि इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि माही बांध का जो पानी ओवरफ्लो होकर खंभात की खाड़ी में जा रहा है उसे जालोर, बाड़मेर और सिरोही के किसानों को दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया। वही सभा स्थल पर शेखावत के पहुंचने के बाद रानीवांडा विधायक नारायण सिंह देवल ने किसानों को आश्वस्त करते हुए मंत्री से उनकी बात करवाने के आश्वासन पर जनाक्रोश सभा के पांडाल में किसान पहुंचे ओर किसानों ने जलशक्ति मंत्री को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी। जिस पर मंत्री ने सकारात्मक जबाव देने पर किसानों ने खुशी जाहिर की।

दैनिक भास्कर 21 जनवरी 2023

माही परियोजना की क्रियान्विति को लेकर जालोर, सिरोही, बाड़मेर से किसान पहुंचे

तीन जिलों के 2 हजार किसान अरणू में जुटे, माही रथ निकालने का निर्णय

हाईकोर्ट के निर्देश पर जताई खुशी

भास्कर न्यूज | जालोर

जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले के सूखे क्षेत्र को सिंचित करने की महत्वपूर्ण माही परियोजना पर हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर 2 हजार से अधिक किसान बागोड़ा क्षेत्र के अरणू में जुटे। राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर-बाड़मेर के तत्वावधान में किसानों ने इस प्रोजेक्ट की जल्द से जल्द प्रोजेक्ट की क्रियान्विति को लेकर किसान नेताओं ने संबोधन के साथ सुझाव दिए। इस दौरान प्रदेश संयोजक विक्रमसिंह पुनासा ने माही बजाज परियोजना को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार माही परियोजना के पानी पर अब राजस्थान के इन तीनों ही जिलों का हक है और हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अब जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की क्रियान्विति अनिवार्य है। जिलाध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब कमेटी का गठन किया गया है, जो इस मसले पर सकारात्मक पहल है। उन्होंने पानी की मांग को लेकर सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। इस दौरान सचिव गिमरसिंह कोट ने कहा कि पहले स्तर पर किसानों के हितों की जीत हुई है, लेकिन अब इस लड़ाई के लिए आवाज और बुलंद करनी होगी। केसरसिंह सिवाणा ने कहा कि अब तक राजनीतिक उदासीनता ही किसानों के हितों के लिए नकारात्मक साबित हुई, लेकिन सजगता के साथ ही मांग पर अमल हो रहा है। कार्यक्रम को किसान नेता भलाराम सारियाणा, पूर्व तहसीलदार जोधासिंह आलासन, नरेंद्रसिंह, मोड़ाराम, तोगाराम समेत कई जने मौजूद रहे।

जालोर. अरणू में सम्मेलन में मौजूद किसान व सम्मेलन संबोधित करते किसान नेता विक्रमसिंह पुनासा।

तीनों जिलों में निकालेंगे माही रथ : बद्रीदान नरपुरा

कार्यक्रम को संबोधित करते अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा ने कहा कि आगामी दिनों में किसानों व आमजन को माही परियोजना की उपयोगिता से अवगत करवाया जाएगा। इसके लिए किसानों की ओर से माही रथ निकाला जाएगा। जो तीनों जिलों में भ्रमण करेगा।

दैनिक भास्कर 15 फरवरी 2023

डीपीआर बनाने बजट घोषणा का स्वागत

जालोर|राजस्थान किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने राज्य बजट में माही परियोजना की क्रियान्विति के लिए प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री की ओर से डीपीआर बनाने के लिए बजट घोषित करने पर खुशी जाहिर की। संगठन प्रदेशाध्यक्ष बद्री दान नर पुरा ने बताया कि राजस्थान एवं गुजरात सरकार के बीच 10 जनवरी 1966 के समझौते के तहत जालोर, सिरोही, बाड़मेर के किसानों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए माही नदी जल उपलब्ध करवाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की ओर से यह घोषणा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में पश्चिमी राजस्थान में माही नदी का पानी नहरों के जरिए उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर तैयार होने के बाद प्रोजेक्ट की भविष्य में क्रियान्विति होने पर तीनों जिलों में आहोर से रानीवाड़ा तक सातों तहसील तथा बाड़मेर जिले में सिणधरी, सिवाना, समदड़ी तहसील एवं सिरोही जिले लाभान्वित होंगे।

जालोर भास्कर 23 फरवरी 2023

माही परियोजना • जनहित याचिका पर कोर्ट की ओर से दिए निर्देशों पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग उठाई

मुख्यमंत्री से बोले जिले के किसान, माही परियोजना से लाभान्वित करने को सर्वे करवा डीपीआर बनवाएं

भास्कर न्यूज | जालोर

माही परियोजना से जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले के सूखे क्षेत्र को सिंचित करने के प्रोजेक्ट पर राज्य बजट में घोषणा के बाद प्रोजेक्ट के लिए सर्वे की मांग को लेकर किसानों का प्रतिनिधि मंडल जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला। राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर-बाड़मेर के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट के लिए सर्वे करवाने के साथ डीपीआर बनवाने की मांग की।

जालोर. जोधपुर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते किसान।

ज्ञापन में बताया कि यह प्रोजेक्ट पश्चिमी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञापन में किसानों ने माही बांध से कडाना डेम तक के वर्षा जल प्रवाह क्षेत्र में ओवरफ्लो पानी को सोम नदी, जाखम नदी को बेणेश्वर से कडाना के मध्य राजस्थान की सीमा में उपयुक्त स्थान पर जल संग्रहण कर अति सूखा क्षेत्र जालोर, सिरोही, बाड़मेर में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा, प्रदेश उपाध्यक्ष केशरीसिंह समेत अन्य मौजूद रहे।

व्यर्थ बह रहा पानी जालोर-सिरोही के लिए फायदेमंद

ज्ञापन में बताया कि माही बांध के ओवरफ्लो पानी के साथ जाखम बांध व सोम, अम्बा, कमला बांध का ओवरफ्लो पानी बेणेश्वर के आगे माही नदी में मिलकर कडाना बांध के साथ ओवरफ्लो होकर वर्ष 1984 से 2022 तक औसत प्रति वर्ष 125 टीएमसी पानी व्यर्थ बहकर संभात की खाड़ी में बह गया। ज्ञापन में बताया कि इस व्यर्थ बहने वाले पानी को जालोर, बाड़मेर व सिरोही के लिए पेयजल व सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाए तो कृषि क्षेत्र को फायदा होगा। साथ ही पेयजल संकट भी दूर हो जाएगा।

दैनिक भास्कर 9 मार्च 2023

मुख्यमंत्री से बोले किसान: जल्द हो माही प्रोजेक्ट की क्रियान्विति

सीएम से मिलता किसानों का प्रतिनिधि मंडल

भास्कर न्यूज | जालोर

राजस्थान किसान संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक विक्रमसिंह पूनासा और प्रदेशाध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा के नेतृत्व में किसानों को प्रतिनिधि मंडल माही परियोजना की त्वरित क्रियान्विति की मांग को लेकर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा, जिसमें राज्य बजट घोषणा के अनुरूप जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले के सूखे क्षेत्र को सिंचित करने के लिए माही परियोजना की घोषणा के अनुरूप जल्द से जल्द प्रोजेक्ट के लिए सर्वे और उसके बाद उसकी डीपीआर बनवाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने किसानों की मांगों को सुना और पश्चिमी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट की जल्द से जल्द क्रियान्विति के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान किसान संगठन प्रतिनिधि केसरसिंह व जिमरसिंह भी मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर 24 मार्च 2023

परियोजना की क्रियान्विति के लिए शुरुआत अच्छी, लेकिन संघर्ष जारी रखेंगे

कूका में जुटे 2 हजार किसान, बोले- माही परियोजना की क्रियान्विति जल्द की जाए

भास्कर न्यूज | जालोर

राजस्थान किसान संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन कूका गांव में किया गया। बैठक में माही बेसिन से पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा के लिए जालोर, बाड़मेर, सिरोही में उपलब्ध करवाने के लिए दायर याचिका के बाद सरकार की ओर से की कई कार्रवाई पर चर्चा की गई। प्रदेश संयोजक विक्रमसिंह पुनासा ने कहा कि उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर जनहित याचिका की पालना में राज्य सरकार द्वारा उच्च अधिकारियों की सर्वे टीम गठित की गई है। यह टीम सर्वे कर एक रिपोर्ट बनाएगी, जिससे प्रोजेक्ट की क्रियान्विति होगी। प्रदेशाध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा ने कहा कि सरकार ने शुरुआती दौर पर जो संघर्ष किया, उस सफलता का यह पहला पायदान है। इसी ऊर्जा के साथ संघर्ष जारी रखना होगा, जिससे भविष्य में माही परियोजना से तीनों जिले लाभान्वित हो सकेंगे। सभा को भगवानाराम विश्नोई, मोडाराम देवासी व भागसिंह ने भी संबोधित किया। बैठक के दौरान बाबूसिंह, नरेंद्रसिंह, शैतानसिंह, जेठाराम, रणछोड़ाराम समेत कई मौजूद रहे।

जालोर. कूका में किसानों को संबोधित करते प्रदेश संयोजक पूनासा।

125 टीएमसी पानी व्यर्थ बहर खंभात की खाड़ी में जा रहा

प्रदेशाध्यक्ष बद्रीदान नरपुरा ने कहा कि 1966 के समझौते के अनुसार जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले पर माही परियोजना से पानी पर हक है। जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। वर्तमान में माही परियोजना के अंतर्गत 125 टीएमसी पानी गुजरात में बेणेश्वर धाम से होते हुए कडाना बांध से आगे खंभात की खाड़ी तक बह रहा है। इसी पानी को राजस्थान के तीन जिलों को लाभान्वित करने के लिए मांग उठ रही है। 125 टीएमसी पानी से 17 बार जवाई बांध को भरा जा सकता है।